रजिस्ट्री सं०-डी (डी)—73

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 23, 1975 (भाद्रपद 1, 1897)

No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 23, 1975 (BHADRA 1, 1897)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

नोटिस

NOTICE

नीचे लिखे भारत के असाधारण राजपत्र 24 जुलाई 1975 तक प्रकाशित किए गए हैं—

The undermentioned *Gazettes of India Extraordinary* were published up to the 24th July 1975 :—

अंक Issue No	संख्या और तिथि No. & Date	द्वारा जारी किया गया Issued by	विषय Subject
146	स० एस०-16025/33/75-एल०डब्ल्यू०, दिनांक 24 जुलाई 1975	श्रम मंत्रालय	मैंगनीज, चूनापत्थर और डोलोमाइट खानों में ठेका श्रम प्रणाली के कार्यकरण के प्रश्न पर अनुसन्धान करने के लिए एक समिति का गठन।
	No. S-16025/33/75-LW, dated the 24th July, 1975	Ministry of Labour	Composition of a Committee to go into the question of working of contract labour system in Manganese, Limestone and Dotomite Mines
147	स० 73 आई०टी० सी० (पी० एन०)/75 दिनांक 24 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	अप्रैल, 1975—मार्च 1976 वर्ष के लिए आयात नीति।
	No 73-ITC (PN)/75, dated the 24th July 1975	Ministry of Commerce	Import Policy for the year April 1975—March 1976
148	स० 32-ई० टी० सी० (पी० एन०)/75, दिनांक 24 जुलाई 1975	वाणिज्य मंत्रालय	31 दिसम्बर 1975 को समाप्त होने वाले लाइसेंस वर्ष के दौरान फ्रांस को भारतीय सूती कपड़ों के लिए लाइसेंस देने से सम्बन्धित योजना।
	No 32-ETC(PN)/75, dated the 24th July 1975.	Ministry of Commerce	Scheme for licensing of Indian Cotton Textiles for export to France during the licensing year ending 31st December, 1975

ऊपर लिखे असाधारण राजपत्रों की प्रतियां, प्रकाशन नियन्त्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली के नाम मांग पत्र भेजने पर भेज दी जायेंगी। मांग पत्र नियन्त्रक के पास इन राजपत्रों के जारी होने की तिथि से दस दिन के भीतर पहुंच जाने चाहिए।

Copies of the Gazettes Extraordinary mentioned above will be supplied on indent to the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi Indents should be submitted so as to reach the Controller within ten days of the date of issue of these Gazettes.

201GI/75

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खंड 1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	633
भाग I—खंड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1323
भाग I—खंड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	93
भाग I—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं	1099
भाग II—खंड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	—
भाग II—खंड 2—विधेयक और विधेयकों संबंधी प्रवर समितियों की रिपोर्ट	—
भाग II—खंड 3—उपखंड (i)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा जारी किए गए विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए साधारण नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)	2335
भाग II—खंड 3—उपखंड (ii)—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और (संघ-राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) केन्द्रीय प्राधिकारियों द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए और जारी किए गए आदेश और अधिसूचनाएं	3097
भाग II—खंड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा अधिसूचित विधिक नियम और आदेश	427
भाग III—खंड 1—महालेखा परीक्षक, संघ लोक-सेवा आयोग, रेल प्रशासन, उच्च न्यायालयों और भारत सरकार के अधीन तथा संलग्न कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	7011
भाग III—खंड 2—एकस्व कार्यालय, कलकत्ता द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं और नोटिस	571
भाग III—खंड 3—मुख्य आयुक्तों द्वारा या उनके प्राधिकार से जारी की गई अधिसूचनाएं	—
भाग III—खंड 4—विधिक निकायों द्वारा जारी की गई विधिक अधिसूचनाएं जिनमें अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	1587
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी संस्थाओं के विज्ञापन तथा नोटिस	145

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	633
PART I—SECTION 2.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	1323
PART I—SECTION 3.—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministry of Defence	—
PART I—SECTION 4.—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence	1099
PART II—SECTION 1.—Acts, Ordinances and Regulations	—
PART II—SECTION 2.—Bills and Reports of Select Committees on Bills	—
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (i).—General Statutory Rules (including orders, bye-laws etc., of general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	2335
PART II—SECTION 3.—SUB. SEC. (ii).—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)	3097
PART II—SECTION 4.—Statutory Rules and Orders notified by the Ministry of Defence	427
PART III—SECTION 1.—Notifications issued by the Auditor General, Union Public Service Commission, Railway Administration, High Courts and the Attached and Subordinate Offices of the Government of India	7011
PART III—SECTION 2.—Notifications and Notices issued by the Patent Offices, Calcutta	571
PART III—SECTION 3.—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	—
PART III—SECTION 4.—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	1587
PART IV—Advertisements and Notices by Private Individuals and Private Bodies	145

भाग I—खंड 1

PART I—SECTION 1

(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं

[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

राष्ट्रपति सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 15 अगस्त, 1975

सं० 94-प्रेज/75—राष्ट्रपति सन् 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नांकित अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्रपति का पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते हैं:—

श्री श्रीनिवास आनन्दरम्,
निदेशक,
भ्रष्टाचार-निरोध ब्यूरो, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री सुधीश नारायण सिंह,
उप-महा निरीक्षक,
होम गार्ड्स, पटना,
बिहार ।

श्री चन्द्रदेव प्रसाद,
पुलिस उप अधीक्षक,
आसूचना शाखा, पटना,
बिहार ।

श्री विरेश्वर प्रसाद सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
आसूचना, शाखा, पटना,
बिहार ।

श्री दिवान चन्द शर्मा,
पुलिस महा निरीक्षक;
हिमाचल प्रदेश, शिमला ।

श्री शिवपुत्र सिद्दलिंगप्पा हासाबी,
पुलिस सहायक आयुक्त,
इंचार्ज, मल्लेश्वरम डिवीजन,
बंगलौर सिटी,
कर्नाटक ।

श्री देवराज उर्स/विजय देवराज उर्स,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
दक्षिणी रेंज, मैसूर,
कर्नाटक ।

श्री गोपाल कुरुप करुणाकर कुरुप,
पुलिस उप अधीक्षक,
केरल ।

श्री वसंत कुमार धारकर,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
इन्दौर,
मध्य प्रदेश ।

श्री श्रीधर वेंकटेश तंखीवाले;
पुलिस आयुक्त,
पूना,
महाराष्ट्र ।

श्री कृष्णन राधाकृष्णन; (स्थानापन्न)
पुलिस उप महा निरीक्षक,
अपराध अन्वेषण विभाग,
मद्रास,
तमिलनाडु ।

श्री दीनदयालु कृष्णन, (स्थानापन्न)
पुलिस उप महा निरीक्षक,
केन्द्रीय रेंज,
तिरुचिरापल्ली,
तमिल नाडु ।

श्री शिव कुमार सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
उत्तर प्रदेश सतर्कता स्थापना, लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री पतित पावन दास,
सहायक कमांडेंट,
पूर्वी सीमान्त राइफल्स,
1ली बटालियन, मिदनापुर,
पश्चिम बंगल।

श्री भवानीमल,
पुलिस महा निरीक्षक,
दिल्ली ।

श्री बी० एन० मेहरा,
पुलिस अधीक्षक,
सुरक्षा,
नई दिल्ली ।

श्री गोपाल प्रसाद दुबे,
पुलिस उप अधीक्षक,

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, जबलपुर ,
मध्य प्रदेश ।

श्री सुदर्शन सिंह बजवा,
डिवीजनल आर्गनाइजर,
मन्त्रिमडल सचिवालय ।

श्री सुखमय सेन,
सहायक महा निरीक्षक,
पूर्वी जोन,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ।

श्री कुन्दपुर हर्ष,
सयुक्त सहायक निदेशक,
सहायक (सब्सीडियरी) आसूचना ब्यूरो, मद्रास,
आसूचना ब्यूरो ।

2 ये पदक राष्ट्रपति के पुलिस पदक से सम्बन्धित नियमो के नियम 4 (II) के अन्तर्गत दिए जा रहे है ।

स० 95-प्रेज/75—राष्ट्रपति सन् 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नांकित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवाओ के लिए पुलिस पदक सहर्ष प्रदान करते है :—

श्री धूलिपाला अप्पा राव,
निदेशक,
पुलिस सचार,
हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री बरकूर श्रीनिवास राव,
पुलिस अधीक्षक,
जिला करनूल,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री करिगुल बाबूराव जैपाल,
निदेशक,
अगुलि चिन्ह ब्यूरो, हैदराबाद,
अपराध अन्वेषण विभाग,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री अलिके चलापति राव,
पुलिस उप-अधीक्षक,
सतर्कता एकक,
नागरिक पूर्ति विभाग, गुटकल,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री मलिक अखलाक हुसैन खां,
पुलिस निरीक्षक,
केन्द्रीय अपराध स्टेशन, हैदराबाद,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री कोनाल सूर्यनारायण रेड्डी,
पुलिस निरीक्षक,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री कोम्मिरेड्डी वेकटेश्वर राव,
हैड कास्टेबल स० 1352,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री सच्चिदानन्द श्रीवास्तव,
पुलिस उप-महा निरीक्षक,
सिरहुत रेज,
मुजफ्फरपुर,
बिहार ।

श्री गजेन्द्र नारायण,
पुलिस अधीक्षक,
आसूचना शाखा,
पटना,
बिहार ।

श्री चन्द्रनाथ कुमार,
पुलिस उप-अधीक्षक,
बिहार मिलिटरी-III, गोविन्दपुर,
बिहार ।

श्री विश्वनाथ पाण्डे,
विग कमांडर,
बिहार मिलिटरी पुलिस X, पटना,
बिहार ।

श्री लक्ष्मी नारायण सिंह,
पुलिस निरीक्षक,
आसूचना शाखा,
बिहार ।

श्री तारिणी प्रसाद वर्मा,
पुलिस उप-निरीक्षक, रेडियो,
बिहार ।

श्री फुलेना राय,
सूबेदार मेजर,
बिहार मिलिटरी पुलिस VI, मजफ्फरपुर,
बिहार ।

श्री सुखलाल सोरेन,
कास्टेबल,
सन्थाल परगना,
बिहार ।

श्री कपिलदेव सिंह,
कास्टेबल,
सेंट्रल रेंज, पटना,
बिहार ।

श्री कातिलाल फूलचन्द शाह,
पुलिस अधीक्षक,
विशेष शाखा, अहमदाबाद सिटी,
गुजरात

श्री रहीमभाई करीमभाई देसाई,
पुलिस उप-निरीक्षक,
विशेष शाखा, अहमदाबाद सिटी,
गुजरात ।

श्री बलवन्त सिह फतेह सिह जडेजा,
निश्शस्त्र हैड कांस्टेबल,
पश्चिम रेलवे,
गुजरात ।

श्री विश्वनाथ लाहू,
ग्रेड I, जमादार, अहमदाबाद सिटी,
अपराध शाखा,
गुजरात ।

श्री दत्तू भावदू पाटिल,
निश्शस्त्र पुलिस कास्टेबल,
अपराध शाखा, अहमदाबाद सिटी,
गुजरात ।

श्री मनमोहन सिह,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
हरियाणा सशस्त्र पुलिस, चण्डीगढ़,
हरियाणा ।

श्री वेद प्रकाश,
पुलिस उप-अधीक्षक,
रोहतक,
हरियाणा ।

श्री प्यारा लाल,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध अन्वेषण विभाग,
हरियाणा ।

श्री अमीन चन्द,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध अन्वेषण विभाग,
हिमाचल प्रदेश ।

श्री सदाराम यादव,
पुलिस सहायक-उप-निरीक्षक,
जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश ।

श्री गुलाम जोलानी पंडित,
पुलिस अधीक्षक ,
श्रीनगर,
जम्मू व कश्मीर ।

श्री मोहम्मद सय्यद,
पुलिस निरीक्षक,
अपराध अन्वेषण विभाग (विशेष शाखा),
श्रीनगर,
जम्मू व कश्मीर ।

श्री आतुर रंगवश्याम श्रीधरन,
पुलिस सहायक-उप-निरीक्षक,
बंगलौर,
कर्नाटक ।

श्री गुरुनाथ केशव जालकी,
पुलिस उप अधीक्षक,
राज्य सतर्कता आयोग,
बंगलौर,
कर्नाटक ।

श्री पीटर समुल मारा,
पुलिस निरीक्षक (बेतार),
कर्नाटक राज्य पुलिस रेडियो ग्रिड,
बंगलौर,
कर्नाटक ।

श्री तर्नहाल्ली रुद्रप्पा रामेगौडा,
इलाका निरीक्षक, पुलिस,
सेण्ट्रल डिवीजन, बंगलौर सिटी,
कर्नाटक ।

श्री एच० वीरेयाह,
पुलिस उप निरीक्षक,
बंगलौर सिटी,
कर्नाटक ।

श्री पुतेन पुराइल मदाई पदमनाभन,
पुलिस उप अधीक्षक,
केरल ।

श्री मावेलिल कुट्टन पिल्लै गोपीनाथन नायर,
इलाका निरीक्षक, पुलिस,
केरल ।

श्री कटियापुरत कुन्हीकृष्णन नम्बियार,
सशस्त्र पुलिस निरीक्षक,
केरल ।

श्री पराक्कल मोहम्मद,
हवलदार,
केरल ।

श्री दिलीप विट्ठलराव घाटे,
पुलिस अधीक्षक,
रीवा,
मध्य प्रदेश ।

श्री महाराज सिह,
अधीक्षक, रेलवे पुलिस,
पश्चिमी सेक्शन, जबलपुर,
मध्य प्रदेश ।

श्री काशी नारायण मिश्र,
पुलिस उप अधीक्षक,
जिला विशेष शाखा, भिलाई,
मध्य प्रदेश ।

श्री शांताराम कानाडे,
पुलिस उप अधीक्षक,
(अभियोजन), ग्वालियर,
मध्य प्रदेश ।

श्री श्रीपतराव शंकरराव थोरट,
सहायक कमांडेन्ट,
17वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल, भिंड,
मध्य प्रदेश ।

श्री गोपाल सिंह यादव,
सहायक कमांडेंट,
24वीं बटालियन, विशेष सशस्त्र दल,
मध्य प्रदेश ।

श्री अंगद सिंह,
पुलिस उप-निरीक्षक,
दमोह,
मध्य प्रदेश ।

श्री यशवन्त राव,
हैड कास्टेबल सं० 106,
15वी बटालियन, विशेष सशस्त्र दल, इंदौर,
मध्य प्रदेश ।

श्री हरनाथ सिंह,
कान्स्टेबल सं० 437,
जिला भिन्ड,
मध्य प्रदेश ।

श्री भुवनेश्वर प्रसाद,
पुलिस सहायक उप-निरीक्षक,
रीवा,
मध्य प्रदेश ।

श्री पार्थसारथी पुन्डी राजगोपालन,
पुलिस उप आयुक्त,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र ।

श्री बसन्तराव रामराव देशमुख,
पुलिस उप-अधीक्षक,
भ्रष्टाचार-निरोध एवं नशाबन्दी आसूचना ब्यूरो,
नागपुर रेंज,
महाराष्ट्र ।

श्री चन्द्रकान्त त्रिम्बक पाटकी,
पुलिस निरीक्षक,
पुलिस प्रशिक्षण कालिज, नासिक,
महाराष्ट्र ।

श्री गंगाधर तुकाराम कैसकर,
पुलिस सहायक आयुक्त,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र ।

श्री माधव त्रिम्बक गुप्ते,
पुलिस निरीक्षक,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र ।

श्री काशीनाथ तुकाराम पाटिल,
पुलिस उप-निरीक्षक,
जलगांव जिला,
महाराष्ट्र ।

श्री विनायक चिमाजी अवाकीकर,
हैड कान्स्टेबल सं० 5017/के०,
ग्रेटर बम्बई,
महाराष्ट्र ।

श्री बालू मुकन्द जाधव,
सशस्त्र हैड कान्स्टेबल,
पूना सिटी,
महाराष्ट्र ।

श्री कृष्ण शम्भाजी, बारगे,
निश्शस्त्र पुलिस हैड कान्स्टेबल,
जिला सतारा,
महाराष्ट्र ।

श्री लोकनाथ घासी राम नायक,
निश्शस्त्र हैड कान्स्टेबल,
नागपुर सिटी,
महाराष्ट्र ।

श्री शेख यूसुफ शेख अदम,
सशस्त्र हैड कांस्टेबल,
महाराष्ट्र ।

श्री विट्ठल पंधारीनाथ जगदले,
निश्शस्त्र पुलिस कान्स्टेबल, बी नं० 1961,
पूना सिटी,
महाराष्ट्र ।

श्री सदानन्द सिल्हा,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
दक्षिणी रेंज, बीहामपुर,
उड़ीसा ।

श्री बसन्त कुमार मोहन्ती,
पुलिस सहायक महा निरीक्षक,
सतर्कता,
उड़ीसा ।

श्री अदीकोंडो बहेरा,
पुलिस उप अधीक्षक,
सतर्कता निदेशालय, कटक,
उड़ीसा ।

श्री भगाबन मिश्र, पुलिस निरीक्षक,
गंजम जिला,
उड़ीसा ।

श्री शेर जंग बहादुर औहरी,
पुलिस उप महा निरीक्षक के सहायक,
अपराध अन्वेषण विभाग,
पंजाब ।

श्री शिवनारायण उप्पल,
पुलिस उप अधीक्षक,
पंजाब ।

श्री सुन्दर सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
पंजाब ।

श्री सुखदेव सिंह,
पुलिस निरीक्षक, सतर्कता ब्यूरो,
पंजाब ।

श्री रामेश्वर नाथ गौड,
पुलिस अपर अधीक्षक,
'सिटी' जयपुर,
राजस्थान ।

श्री हरी सिंह पुरोहित,
पुलिस उप अधीक्षक,
ब्यावर सर्कल जिला अजमेर,
राजस्थान ।

श्री जालम सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
बाड़मेर,
राजस्थान ।

श्री टेकचन्द,
पुलिस निरीक्षक,
श्रीगंगानगर,
राजस्थान ।

श्री योगेश चन्द्र,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला विशेष शाखा, उदयपुर,
राजस्थान ।

श्री राधेश्याम,
हैड कांस्टेबल, सं० 26,
सिविल पुलिस, जिला अलवर,
राजस्थान ।

श्री भंवर सिंह,
हैड कांस्टेबल, सं० 48,
राजस्थान आर्म्ड कांस्टेबुलरी,
2रीं बटालियन,
राजस्थान ।

श्री रोशनलाल हांडा,
पुलिस अधीक्षक,
सुरक्षा आयुक्त के रूप में प्रतिनियुक्ति पर,
निवेली लिगनाइट कार्पोरेशन लिमिटड,
निवेली,
तमिलनाडु ।

श्री परमक्कासन दोरई,
पुलिस अधीक्षक एवं
पुलिस सहायक महानिरीक्षक, मद्रास, तमिलनाडु ।

श्री इटेक्केप्रावन वीत्तिल कुन्हीरामन नम्बियार,
पुलिस उप अधीक्षक,
सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोध,
चिंगलेपुट डिटैचमेंट कांचीपुरम,
तमिलनाडु ।

श्री पालुर रंगप्पा रेड्डी पुरुषोत्तमन, (स्थानापन्न)
पुलिस उप निरीक्षक,
चिंगलेपुट (पूर्वी) ,
तमिलनाडु ।

श्री मोहम्मद अब्दुल हई,
हैड कांस्टबल, सं० 1484, (स्थानापन्न)
मद्रास सिटी पुलिस,
तमिलनाडु ।

श्री विश्वासम येसु आदिमई,
हैड कांस्टेबल सं० 546,
सतर्कता और भ्रष्टाचार निरोध,
कन्याकुमारी डिटैचमेंट कन्याकुमारी,
तमिलनाडु ।

श्री राजमन्नार गोपालकृष्णन,
पुलिस कांस्टेबल सं० 247,
तंजावुर (पूर्वी), जिला,
तमिलनाडु ।

श्री जयेन्द्रनाथ चतुर्वेदी, (स्थानापन्न)
पुलिस उप महा निरीक्षक,
कानपुर रेंज, कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री शत्रुघ्न प्रसाद, मिश्र,
पुलिस अधीक्षक, (स्थानापन्न)
अपराध शाखा, अपराध अन्वेषण विभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री जगमोहन सक्सेना, (स्थानापन्न)
पुलिस अधीक्षक,
सीतापुर,
उत्तप्रदेश ।

श्री इन्द्र प्रकाश भट्ट नागर, (स्थानापन्न)
पुलिस अधीक्षक,
उ० प्र० सतर्कता स्थापना, कानपुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री प्रताप भान बाजपेयी, (स्थानापन्न)
पुलिस उप-अधीक्षक,
आसूचना, लखनऊ ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री सैयद मुर्तजा जैदी, (स्थानापन्न)
पुलिस उप अधीक्षक,
अपराध शाखा,
अपराध अन्वेषण विभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री द्वारिका सिंह, (स्थानापन्न)
पुलिस अधीक्षक,
अपराध शाखा,
अपराध अन्वेषण विभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री माशुक अहमद,
प्लाटून कमांडर,
IV-बटालियन, प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी,
इलाहबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री लखपत सिंह, (स्थानापन्न)
प्लाटून कमांडर,
XXVII-बटालियन, प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी,
सीतापुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री कैलाश चन्द्र भार्गव,
पुलिस उप निरीक्षक, (एम),
आसूचना विभाग, विशेष शाखा,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री अशराफ अली खान, (स्थानापन्न)
हैड कास्टेबल स० 949,
सिविल पुलिस,
आगरा,
उत्तर प्रदेश ।

श्री पारसनाथ सिंह,
हैड कास्टेबल,
XXV-बटालियन, प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी,
इलाहबाद,
उत्तर प्रदेश ।

श्री प्रताप सिंह,
हैड कास्टेबल,
XI-बटालियन, प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी,
सीतापुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री राम दत्त राम,
कांस्टेबल,
आसूचना विभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री जैत सिंह,
कास्टेबल ड्राईवर,
अपराध अन्वेषण विभाग,
अपराध शाखा,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री जमील अहमद खां,
हैड आपरेटर मेकैनिक, उत्तर प्रदेश पुलिस रेडियो अनुभाग,
लखनऊ,
उत्तर प्रदेश ।

श्री बिन्देश्वरी सिंह,
उप निरीक्षक,
बैंड XI-बटालियन,
प्रादेशिक आर्म्ड कास्टेबुलरी, सीतापुर,
उत्तर प्रदेश ।

श्री गौर कृष्ण मुखर्जी,
पुलिस उप अधीक्षक,
जलपाइगुड़ी,
पश्चिम बंगाल ।

श्री पीयुष कान्ति चक्रवर्ती,
पुलिस उप अधीक्षक,
जिला आसूचना शाखा, जलपाइगुड़ी,
पश्चिम बंगाल ।

श्री निर्मल गोपाल मखर्जी,
पुलिस निरीक्षक,
24 परगना,
पश्चिम बंगाल ।

श्री सजीव कुमार चटर्जी,
पुलिस निरीक्षक,
बर्दवान,
पश्चिम बंगाल ।

श्री रवीन्द्र चन्द्र दास,
सशस्त्र निरीक्षक, पुलिस,
वीरभूम,
पश्चिम बंगाल ।

श्री भगीरथ दत्त,
पुलिस निरीक्षक,
प्रवर्तन शाखा (एनफोर्समैंट ब्राच),
पश्चिम बंगाल ।

श्री पार्वती कुमार चटर्जी,
पुलिस निरीक्षक,
कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री देव प्रसाद बक्शी,
पुलिस निरीक्षक,
आपराधिक आसूचना अनुभाग,
डिटेक्टिव डिपार्टमेंट, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री सुधीरेन्द्र नाथ सरकार,
पुलिस उप निरीक्षक,
जिला आसूचना शाखा,
24 परगना,
पश्चिम बंगाल ।

श्री अजीत कुमार चटर्जी,
पुलिस उप निरीक्षक,
फेटल स्कवेड, यातायात विभाग,
कलकत्ता पुलिस,
पश्चिम बंगाल ।

श्री अशोक कुमार सरकार,
हैड कांस्टेबल, सं० के-1904,
हुगली,
पश्चिम बंगाल ।

श्री मोकार घोष तामांग,
नायक सं० 12017,
1 ली बटालियन, कलकत्ता सशस्त्र पुलिस,
पश्चिम बंगाल ।

श्री गोपाल कृष्ण बोस,
कांस्टेबल सं० 11610,
विशेष शाखा, कलकत्ता,
पश्चिम बंगाल ।

श्री सत्यव्रत बसु,
पुलिस उप महानिरीक्षक,
आसूचना शाखा,
पश्चिम बंगाल ।

श्री ठा० छन्दबिहारी सिंह,
पुलिस अधीक्षक,
मणिपुर सैन्ट्रल,
त्रिपुरा ।

श्री बलजीत राय सूर,
पुलिस महा निरीक्षक,
त्रिपुरा ।

श्री आई० जे० वर्मा,
पुलिस उप-महानिरीक्षक,
दिल्ली ।

श्री दरयाव सिंह,
पुलिस उप अधीक्षक,
दिल्ली ।

श्री गुरूचरण सिंह,
निरीक्षक सं० डी-1/144,
दिल्ली पुलिस,
दिल्ली ।

श्री बनारसी दास,
पुलिस उप निरीक्षक,
दिल्ली ।

श्री विश्वनाथ राम किशन,
पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय),
पांडिचेरी ।

ब्रिगेडियर हरचन्द सिंह,
कमांडेंट,
सिगनल रेजीमेंट,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री प्रकाश चन्द्र चोपड़ा,
सहायक निदेशक (बी० डी०),
महानिदेशालय,
सीमा सुरक्षा दल ।

कर्नल राणा प्रताप सिंह,
सहायक निदेशक (आपरेशन्स),
महानिदेशालय,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री राम प्रकाश शर्मा,
विधि-अधिकारी, ग्रेड-I,
(कमांडेंट),
सीमा सुरक्षा दल, मुख्यालय ।

ले० कर्नल अजमेर सिंह,
कमांडेंट, 48वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री बलजीत सिंह त्यागी,
डिप्टी कमांडेंट, 46वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री सुरेश चन्द्र दिवान,
संयुक्त सहायक निदेशक (संचार),
मुख्यालय, उप महा निरीक्षक,
सीमा सुरक्षा दल, जोधपुर ।

श्री उधम सिंह,
सहायक कमांडेंट,
मुख्यालय, महा निरीक्षक,
सीमा सुरक्षा दल, जालन्धर ।

श्री हरबन्स सिंह,
निरीक्षक,
आर्मस वर्कशाप, मुख्यालय,
उप महा निरीक्षक,
सीमा सुरक्षा दल, अहमदाबाद ।

श्री राजू राम,
निरीक्षक सं० 66121017,
16वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री गुरदयाल सिंह,
सूबेदार मेजर सं० 67001188,
सीमा सुरक्षा दल, अकादमी,
टेकनपुर (ग्वालियर) ।

श्री जागे राम,
निरीक्षक सं० 67900003,
90वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री श्याम सुन्दर लाल,
निरीक्षक (एकाउन्टैंट) सं० 660000662,
मुख्यालय, महानिरीक्षक,
सीमा सुरक्षा दल,
पंजाब, जालन्धर छावनी ।

श्री राम बहादुर सिंह बहादौरिया,
उप निरीक्षक सं० 66788025,
78वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री शेर सिंह,
हैड कांस्टेबल सं० 67522039,
53वीं बटालियन,
सीमा सुरक्षा दल ।

श्री राजेन्द्र शेखर,
पुलिस उप महा निरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
नई दिल्ली ।

श्री कृष्ण लाल कालड़ा,
पुलिस उप अधीक्षक,
फराड स्कवाड-II,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
नई दिल्ली ।

श्री पोडुपु वेंकट राम राव,
पुलिस उप अधीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
हैदराबाद ।

श्री बलवन्त रामचन्द्र जाध्व,
निरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
जी० ओ० डब्ल्यू०, बम्बई ।

श्री ओदनघाट वेणुगोपाल,
निरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
आर्थिक अपराध विंग,
मद्रास ।

श्री रवि शंकर शुक्ल,
निरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
जबलपुर ।

श्री मंगल देव,
सहायक उप निरीक्षक,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
फराड स्कवाड-II,
नई दिल्ली ।

श्री गजानन रघुनाथ काकड़े,
हैड कांस्टेबल,
केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो,
जी० ओ० डब्ल्यू०, बम्बई ।

श्री डी० एस० भटनागर,
उप निदेशक (प्रशिक्षण),
महानिदेशालय,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
नई दिल्ली ।

श्री सुधीर कुमार बोस,
पुलिस उप अधीक्षक,
सिगनल ग्रुप सेंटर,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
नीमच ।

श्री धर्म पाल,
सूबेदार मेजर,
51वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री निहाल सिंह,
सूबेदार,
3री सिगनल बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री सुरेशानन्द,
सूबेदार,
3री सिगनल बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री के० नटराजन,
जमादार,
सिगनल ग्रुप सेंटर,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
नीमच ।

श्री उधम सिंह,
जमादार,
52वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री परस राम चौबे,
जमादार,
22वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री करम सिंह,
हैड कांस्टेबल,
48वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री गुलाब चन्द,
हैड कांस्टेबल,
53वीं बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

श्री प्रेम नाथ दत्त,
हैड कास्टेबल, (रेडियो आपरेटर),
सिगनल ग्रुप सैंटर,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
नीमच ।

श्री बन्टा राम,
हैड कांस्टेबल,
पुलिस महा निरीक्षक-एस/II कार्यालय,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल,
कलकत्ता ।

श्री हरनाम सिंह,
हैड कांस्टेबल,
49वी बटालियन,
केन्द्रीय आरक्षित पुलिस दल ।

डा० काडनगोडे वैंकटेश्वर हरिहर पद्मनाभन,
संयुक्त उप निदेशक,
आसूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली ।

श्री राजेन्द्र प्रकाश मलिक,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
आसूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली ।

श्री सत्य पाल वधावन,
सयुक्त सहायक निदेशक,
आसूचना ब्यूरो,
नई दिल्ली ।

श्री खियानम्टे लालजोलियाना,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
ऐजावल ।

श्री ईशर दास सरीन,
संयुक्त सहायक निदेशक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
मोकोकचुंग ।

श्री करतार सिंह,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
अमृतसर ।

श्री राजू पिल्लै कृष्णन्,
उप केन्द्रीय आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
मद्रास ।

श्री ए० के० डोवाल,
संयुक्त सहायक निदेशक,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
ऐजावल ।

श्री वेसालहु चाखेसंग,
कनिष्ठ आसूचना अधिकारी,
सहायक आसूचना ब्यूरो,
कोहिमा ।

श्री राज बहादुर सिंह गैहलोट,
कम्पनी कमांडर,
मंत्रिमण्डल सचिवालय ।

श्री बी० जे० मिसर,
ग्रुप कमांडेंट,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल,
बम्बई ।

श्री लोयनल मोरिस देवसहायम्,
कमांडेन्ट,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल एकक,
मद्रास पोर्ट ट्रस्ट ।

श्री प्रभ दयाल,
सहायक उप-निरीक्षक,
केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा दल ।

ले० कर्नल प्रीतम सिंह ग्रेवाल,
कमान्डेन्ट,
6ठीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री इगूरी येसुराज दास,
सहायक केन्द्रीय आसूचना अधिकारी-I (डब्ल्यू/टी),
1लीं बटालियन,
भारत-तिब्बत सीमा पुलिस ।

श्री सैयद मोहम्मद महमूद,
हैड कांस्टेबल, पुलिस,
सरदार वल्लभ भाई पटेल,
राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, हैदराबाद ।

श्री पी० एन० मेहरा,
सहायक निदेशक,
अपराध शास्त्र एवं न्याय वैद्यक विज्ञान संस्थान,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

श्री तुलजा राज,
प्रिंसिपल,
सैंट्रल डिटेक्टिव ट्रैनिंग स्कूल,
पुलिस अनुसंधान तथा विकास ब्यूरो,
गृह मंत्रालय,
नई दिल्ली ।

श्री हरीश चन्द्र,
प्रिंसीपल,
जे० आर० आर० पी० एफ० ट्रेनिंग कालेज,
लखनऊ ।

श्री मिर्जा अवन बेग,
सहायक सुरक्षा अधिकारी,
दक्षिण केन्द्रीय रेलवे,
सिकन्दराबाद ।

श्री रोहित लाल मेहता,
कम्पनी कमान्डर,
सं० 8 बटालियन, रेलवे प्रोटेक्शन स्पैशल फोर्स
चितरंजन (पश्चिम बंगाल)

श्री दीवान सिंह,
हैड रक्षक,
उत्तर रेलवे,
दिल्ली डिवीजन,
दिल्ली ।

2. ये पदक पुलिस पदक से संबंधित नियमों के नियम 4 (ii) के अन्तर्गत दिए जा रहे हैं ।

सं० 96-प्रेज/75—दिनांक 17 अगस्त, 1974 के भारत के राजपत्र के भाग 1, खंड 1 के पृष्ठ 804 पर प्रकाशित राष्ट्रपति सचिवालय की दिनांक 15 अगस्त, 1974 की अधिसूचना सं० 93-प्रेज/74 के तहत 1974 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर बिहार के पुलिस उपमहानिरीक्षक श्री सुधीश सिंह को सराहनीय सेवा के लिए प्रदान किया गया पुलिस पदक एतद् द्वारा रद्द किया जाता है ।

सं० 97-प्रेज/175—राष्ट्रपति, सन् 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उन की सराहनीय सेवाओं के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

श्री मेप्पिलडाथ सुब्रह्म अय्यर सुब्रह्मण्यम,
डिवीजनल फायर आफिसर,
तमिल नाडु अग्निशमन सेवा ।

श्री आर० चिन्नास्वामी,
फायरमैन,
तमिल नाडु अग्निशमन सेवा ।

श्री कंगप्पन शिवलिंगम,
फायरमैन
तमिलनाडू अग्निशमन सेवा

श्री विश्वम्भर देव वर्मा,
स्टेशन आफिसर,
त्रिपुरा अग्निशमन सेवा ।

सूबेदार बंस नारायण पाण्डे,
चल-सिविल आपात् कालिक दल, दिल्ली,
(गृह मंत्रालय)

नायब सूबेदार धौकंल सिंह,
चल-सिविल आपात कालिक दल, दिल्ली
(गृह मंत्रालय)

श्री भरत राव,
डिवीजनल फ़ायर आफ़िसर,
विजयवाड़ा,
आन्ध्र प्रदेश ।

श्री एम० कृष्णमूर्ति ,
डिवीजनल फ़ायर आफ़िसर,
गुन्तूर—आन्ध्र प्रदेश ।

2. ये पुरस्कार अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करने से सम्बन्धित नियमों के नियम 3(2) के अधीन दिए जाते हैं ।

सं० 98-प्रेज/75—राष्ट्रपति, 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिए अग्निशमन सेवा पदक प्रदान करते हैं :—

अधिकारियों के नाम तथा पद

श्री एस० सिंहजीत सिंह,
स्टेशन आफीसर,
मणिपुर अग्निशमन सेवा ।

श्री एन० मणि सिंह,
लीडिंग फायरमैन,
मणिपुर अग्निशमन सेवा ।

श्री ख० मेंजोर सिंह,
फायरमैन ड्राईवर,
मणिपुर अग्निशमन सेवा ।

श्री आर० के० मुक्तासन सिंह,
फायरमैन,
मणिपुर अग्निशमन सेवा ।

सेवाओं का विवरण जिनके लिए पदक प्रदान किया गया

मणिपुर में कांम-कीरप के निकट स्थित लोक्तक परियोजना की सुरंग में 25 जनवरी, 1975 को लगभग 12-30 बजे एक विस्फोट हुआ । इस विस्फोट में दस व्यक्ति घायल हुए । घायलों को निकाल कर उसी दिन लाम्केल जनरल अस्पताल ले जाया गया । चोटों के कारण दस व्यक्तियों में से दो की मत्यु हो गई ।

उसी दिन लगभग 14-00 बजे उसी सुरंग में एक और विस्फोट हुआ । इस दूसरे विस्फोट की वजह से आठ व्यक्ति सुरंग में फंस गए ।

फंसे हुए व्यक्तियों को बचाने के लिए सहायता की माग करने पर मणिपुर अग्निशमन सेवा की एक टुकड़ी इम्फाल से 25 जनवरी, 1975 को लगभग 22-30 बजे सुरंग द्वार पर पहुची । टुकड़ी का नेतृत्व श्री सिंहजीत सिंह कर रहे थे ।

सुरंग के द्वार पर पहुंचने पर टुकड़ी के जवानों ने देखा कि सुरंग बुरी तरह दूषित थी जिसके परिणामस्वरूप सुरंग के अन्दर का वातावरण भयानक रूप से दम घोंटने वाला था । टुकड़ी के पास श्वास लेने वाला कोई यंत्र नहीं था । इस यंत्र के लिए मांगपत्र (इंडेन्ट) अभी तक सप्लायरों आदि के पास पड़े हुए हैं । विस्फोट फिर न होने पाएं इस दृष्टि से बिजली की सप्लाई काट दी गई थी जिसकी वजह से सुरंग में गहरा अंधेरा था । घातक रूप से दमघोट वातावरण और गहरे अंधकार के कारण सहायता कार्य के लिए सुरंग में प्रवेश कर पाना बहुत ही जोखिमपूर्ण हो गया था ।

निजी सुरक्षा की कोई परवाह न करते हुए अपने कर्त्तव्य के प्रति असाधारण निष्ठा से प्रेरित होकर, श्री सिंहजीत सिंह

ने खुद अपने मुट्ठी भर सहायकों, सर्वश्री एन० मणि सिंह, ख० मेंजोर सिंह और आर० के० मुक्तासन सिंह के साथ तुरन्त सहायता कार्य शुरू करने तथा सुरंग में घुसने का निश्चय किया। श्री सिंहजीत सिंह तथा उनके दल को सुरंग के उस विशेष हिस्से में करीब 25 मीटर अन्दर पहुंचने के बाद, जहां दुर्घटना हुई थी, जी मिचलाने वाली भयानक दुर्गन्ध का सामना करना पड़ा और उन्हें सांस लेने के लिए पीछे हटना पड़ा। सुरंग के अन्दर टोह लेने के, कार्य में गंभीर खतरे के बावजूद, जहां तक संभव हो सके सुरंग के अन्दर अधिक से अधिक आगे बढ़ने के लगातार प्रयास में उन्होंने सराहनीय दृढ़ता और अनुकरणीय साहस से काम लिया। चौथे प्रयास में दल सुरंग के अन्दर लगभग 300 मीटर तक पहुंच सका। इस स्थान तक पहुंचने पर टार्च-लाइट की सहायता से सारे क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। सुरंग में श्री सिंहजीत सिंह और उनके बहादुर जवानों ने लोको-लाइन को सुरंग के मलबे और उन शलाकाओं से ढका पाया जिन्हें वहां लगाने के लिए लाया गया था। दल ने यह भी देखा कि वाच-लाइन और कम्प्रेस एयर लाइन कई जगहों पर क्षतिग्रस्त हो गई थी और उनमें से बहुत अधिक मात्रा में पानी और हवा निकल रही थी। कुछ टोप और जूते भी इधर-उधर पड़े हुए पाए गए। सुरंग के अन्दर के वायुमण्डल में गैस पूरी तरह फैली हुई थी और वह वातावरण दम घोटने वाला था। श्री सिंहजीत सिंह और उनके दल ने जो भयावह दृश्य देखा उससे उन्हें अब इस बात में कोई सन्देह नहीं रहा कि वहां फंसे हुए व्यक्तियों के बचने की कोई संभावना नहीं थी और सहायता-कार्य जारी रखना न केवल व्यर्थ होगा बल्कि इससे अग्निशमन सेवा के जवानों को भी जान से हाथ धोना पड़ सकता है जिसका अर्थ केवल मरने वालों की संख्या में वृद्धि करना होगा। तदनुसार 25/26 जनवरी, 1975 की रात में सहायता कार्य को छोड़ कर सुरंग से उस हानिकर तथा आग पकड़ने वाली गैस को निकालने का काम शुरू किया गया ताकि सुरंग खाली करने का काम अधिक सुरक्षापूर्ण स्थिति में किया जा सके।

खाली करने का काम 26 जनवरी, 1975 को 06.30 बजे शुरू किया गया। श्री सिंहजीत सिंह के नेतृत्व में अग्निशमन सेवा के जवानों द्वारा उस भयावह वातावरण में घुटनों तक गहरे पानी में जाकर लगभग 09.30 बजे दो शवों को निकाल कर सुरंग से बाहर लाया गया तथा लगभग 12.30 बजे तीन और शव निकाले गए। उस समय तक भी सुरंग के अन्दर का वातावरण गैस से भरा हुआ था, जिसकी वजह से बाहर निकालने के काम में लगे व्यक्ति जल्दी ही थकान महसूस करने लगते थे। लगातार परिश्रम करके 26 जनवरी, 1975 की शाम तक शेष तीन शवों को भी निकाल लिया गया। परियोजना के कुछ कर्मचारियों ने भी साहस तथा सराहनीय शिष्टतापूर्ण भावना से अग्निशमन सेवा के जवानों के काम में मदद की।

सर्वश्री सिंहजीत सिंह, एन० मणि सिंह, ख० मेंजोर सिंह और आर० के० मुक्तासन सिंह ने 25 जनवरी, 1975 को घातक वातावरण में सहायता कार्य करने तथा 26 जनवरी, 1975 को जोखिमपूर्ण स्थितियों में से मृतकों को बाहर निकालने में अनुकरणीय नेतृत्व, कर्तव्य-परायणता तथा वीरता का परिचय दिया।

2. ये पदक अग्निशमन सेवा पदक नियमावली के नियम 3(i) के अन्तर्गत वीरता के लिए दिए जा रहे हैं तथा फलस्वरूप नियम 5(क) के अन्तर्गत विशेष स्वीकृत भत्ता भी दिनांक 25 जनवरी, 1975 से दिया जाएगा।

सं० 99-प्रेज/75—राष्ट्रपति, 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारी को उसकी विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति के गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक सहर्ष प्रदान करते हैं :—

अधिकारी का नाम तथा पद

श्री कृष्ण कुमार मल्होत्रा,
निदेशक,
राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा कालेज,
नागपुर।

2. यह पदक राष्ट्रपति के गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक से सम्बन्धित नियमों के नियम 3(4) के अन्तर्गत दिया जा रहा है।

सं० 100-प्रेज/75—राष्ट्रपति सन् 1975 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नांकित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करते हैं :—

1. श्री कालू भाई एच० जादव, (मरणोपरांत)
प्लाटून सार्जेन्ट,
गुजरात राज्य गृह रक्षक।

2. श्री महेंद्र सिंह एच० गोहेल (मरणोपरांत)
गुजरात गृह रक्षक।

गुजरात राज्य में जनवरी, 1974 से मार्च, 1974 के बीच हुए विद्यार्थी-आंदोलन के समय 2 मार्च, 1974 को एक दर्दनाक घटना घटी, जबकि मोती-बाग पैलेस भावनगर में, जिसमें सरकारी कार्यालय थे, आग लग गई। भावनगर शहर के गृह रक्षक, उक्त पैलेस में लगी आग को बुझाने तथा उस इमारत से महत्वपूर्ण सरकारी रिकार्ड को निकालने में सहायता करने के लिये तत्काल घटना-स्थल पर पहुंच गये। हमारे गृह रक्षकों में से दो ने यह देखा कि एक लड़का आग की लपेट में आ गया है। यद्यपि सारी इमारत में आग लगी हुई थी, फिर भी श्री कालू भाई एच० जादव, प्लाटून सार्जेन्ट और श्री महेंद्र सिंह एच० गोहेल लड़के की जान बचाने के लिये मोती बाग पैलेस में लगी आग की लपटों के बीच बढ़ गये और भारी कठिनाइयों के साथ वे लड़के को आग की लपटों के बीच से बाहर निकालने में सफल हो गये और इस प्रकार लड़का तो बच गया लेकिन ये दो कर्त्तव्यनिष्ठ और बहादुर गृह-रक्षक आग की लपेट में आ गए और बाहर नहीं निकल सके। जलती हुई छत के गिरने पर एक जलती हुई बल्ली श्री के०एच०जादव और श्री महेंद्र सिंह एच० गोहेल के ऊपर गिर गई। इस प्रकार भावनगर शहर गृह रक्षक दल के दो जवानों, श्री के० एच० जादव और श्री महेंद्र सिंह एच० गोहेल

ने जलती हुई आग से घिरे हुए एक मनुष्य के जीवन को बचाने के लिये अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवा करते हुए अपने प्राणों की बलि दे दी।

उनके शवों का पता काफी मलबा निकालने के बाद, पांच दिनों के बाद ही चल सका।

गृह रक्षक संगठन के इतिहास में ऐसी कोई दूसरी मिसाल नहीं है जबकि संगठन में जहां तक याद है, अवैतनिक और स्वैच्छिक सेवा करते हुए गृह-रक्षकों की मौत हुई हो।

3. लांस नायक शंकर सिंह,
गृह रक्षक स्वयं-सेवक,
मध्य प्रदेश।

लांस नायक शंकर सिंह 2 दिसम्बर, 1968 को जिला रतलाम में सैनिक के रूप में भर्ती हुए। उन्हें 10 फरवरी, 1972 को लांस नायक के पद पर पदोन्नत किया गया।

रतलाम के निवासी श्री कैलाश की पत्नी श्रीमती पुष्पा देवी 5 अक्तूबर, 1974 की शाम को घर जाते समय रतलाम के कलक्टर के कार्यालय के पास, जहां पर खाली तालाब स्थित था, प्यास लगी। तालाब की सीढ़ियों से नीचे जाते हुए वह फिसल गई और तालाब में गिर गई। उक्त तालाब बहुत गहरा और चारों ओर से चट्टानों से घिरा हुआ है। श्रीमती पुष्पा देवी सहायता के लिये चिल्लाई लेकिन दर्शकों में से कोई भी इस निःसहाय महिला को बचाने के लिये तालाब में जाने का साहस नहीं कर सका। श्रीमती पुष्पा देवी तालाब में बहती चली गई और तैरना न जानने के कारण डूबने ही वाली थी। लांस नायक शंकर सिंह जो पास ही 'गृह रक्षक मैस' में काम कर रहे थे, दर्शकों की चिल्लाहट सुनकर घटना-स्थल पर पहुंच गये और उन्होंने तालाब में गोता लगाया। वे तैरते हुए उस स्थान पर पहुंचे जहां पर श्रीमती पुष्पा देवी डूब रही थी और उन्होंने भारी प्रयास करके उसे बचा लिया। किनारे आने के लिये तैरते समय लांस नायक शंकर सिंह स्वयं एक से अधिक बार पानी के नीचे चले गए लेकिन उन्होंने साहस नहीं खोया और अन्ततः वे श्रीमती पुष्पा देवी को जो बेहोशी की हालत में थी किनारे लाने में सफल हुए।

किनारे पहुंचने पर, लांस नायक शंकर सिंह ने उसका प्राथमिक उपचार किया और इसके फलस्वरूप उसके बहुमूल्य जीवन को बचा लिया गया।

लांस नायक शंकर सिंह को 22 दिसम्बर, 1974 को एक सार्वजनिक समारोह में जिला रोटरेक्ट क्लब नं० (303) द्वारा सम्मानित किया गया।

लांस नायक 30365 शंकर सिंह ने भारी कठिनाइयों के सामने उच्च-कोटि का साहस और कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया और व्यक्तिगत खतरे की परवाह किए बिना उन्होंने अत्यधिक संकटपूर्ण परिस्थितियों में श्रीमती पुष्पा देवी के जीवन को बचाया।

4. श्री शमशेर सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं सेवक (सब-सैक्शन डीलर),
सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब।

सब-सैक्शन लीडर शमशेर सिंह नं० 7027 पुत्र श्री डोगर सिंह फाजिल्का सीमा स्कन्ध गृह रक्षक की छठी बटालियन में थे। युद्ध से उत्पन्न आपात स्थिति के दौरान उनकी बटालियन फाजिल्का में थल सेना ब्रिगेड के समग्र नियंत्रण के अधीन सीमा सुरक्षा दल की 22वी बटालियन के साथ संबद्ध थी। 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को पाकिस्तानियों ने फाजिल्का सीमा पर धोखे से हमला कर दिया। बी० बी० नं० 7027 सब-सैक्शन लीडर शमशेर सिंह पुत्र श्री डोगर सिंह सीमा सुरक्षा दल की चौकी मोहर सोना पर तैनात थे। इस चौकी पर भारी गोलाबारी की गयी परन्तु अत्यधिक कठिनाइयों के बावजूद वे अपनी चौकी पर डटे रहे। उन्होंने अपनी चौकी तब तक नहीं छोड़ी जब तक युद्ध-कौशल की दृष्टि से तारीख 5 दिसम्बर, 1971 को ब्रिगेड द्वारा पीछे हटने के आदेश नहीं दे दिये गये। इन तीनों दिन शत्रु द्वारा की गई भारी गोलाबारी तथा छोटे शस्त्रों से की गई गोलीबारी के दौरान उन्होंने शत्रु की गोलीबारी के बावजूद युद्ध में दृढ़ता और नेतृत्व का परिचय दिया। पीछे हटते समय जब उनकी प्लाटून सूनदा बंध के समीप पहुंची तो शत्रु द्वारा घात लगा कर हमला किया गया। यूनिट ने अपना मोर्चा सम्भाला और उनका मुकाबला किया। एम० एम० जी० से चलाई गई एक गोली सब-सैक्शन लीडर को लगी परन्तु वह आखरी राऊंड तक लड़ते रहे जिससे उनकी यूनिट के कुछ सदस्य जिनमें सीमा सुरक्षा दल के कुछ कार्मिक भी थे, घेरे से भाग निकलने में सफल हुए। इस कार्रवाई में ड्यूटी पर रहते हुए उन्होंने देश के लिये अपनी जान तक न्यौच्छावर कर दी तथा अपने कर्त्तव्य एवं अनुशासन के प्रति महान निष्ठा का परिचय दिया।

5. श्री इन्द्र सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं-सेवक, सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब।

स्वयं-सेवक बी० बी०-6872 फाजिल्का में 6 सीमा स्कन्ध बटालियन में थे। उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन से संबद्ध थी और फाजिल्का स्थित थल सेना की ब्रिगेड के आपरेशनल कंट्रोल में थी। 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को पाकिस्तानियों ने फाजिल्का सीमा पर अचानक आक्रमण किया। बी० बी०-6872 स्वयं सेवक इन्द्र सिंह पुत्र श्री चानन सिंह 'सी' कम्पनी पी० एच० जी० फाजिल्का को सीमा सुरक्षा दल की सोबार वाली स्थित चौकी पर तैनात किया गया। युद्ध शुरु होने से पहले उन्हें चारुनी पुल पर जाने के आदेश दिये गये। इस चौकी पर शत्रु ने भारी गोलाबारी की और दुश्मन की सेना ने इसे घेर लिया। दुश्मन की सेना ने आक्रमण तेज कर दिया परन्तु स्वयं सेवक इन्द्र सिंह अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किये बिना अपनी चौकी पर डटे रहे और अन्तिम राउंड तक गोली चलाते रहे। उन्होंने उच्चकोटि के उदाहरणीय साहस और उच्च स्तरीय शौर्य का परिचय दिया इस लड़ाई में स्वय सेवक ने अपने प्राण न्यौच्छावर कर दिये और दूसरों के लिए अपने अनुकरण का उदाहरण कायम किया।

6. श्री वरियम सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं सेवक, गृह स्कन्ध दल,
पंजाब।

सीमा स्कन्ध गृह रक्षक बटालियन के स्वयं सेवक श्री बी० वी०-6852 वरियम सिंह पुत्र श्री धारासिंह सीमा सुरक्षा दल की 22वी बटालियन से संबद्ध थे और फाजिल्का स्थित थल सेना ब्रिगेड के आपरेशनल कंट्रो में थे। 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को पाकिस्तानियों ने फाजिल्का सीमा पर अचानक आक्रमण किया और सीमा सुरक्षा दल की झांगेर स्थित चौकी पर भारी गोलाबारी की। बी० वी०-6852-स्वयं सेवक वरियम सिंह पुत्र धारा सिंह 'सी' कम्पनी पी० एच० जी० फाजिल्का झांगेर चौकी पर उस समय अपनी ड्यूटी पर थे जबकि दुश्मन की सेना की 3 से अधिक कम्पनियों ने झांगेर की चौकी को घेर लिया। दुश्मन की सेना ने आक्रमण और तेज कर दिया। भारी कठिनाइयों के बावजूद स्वयं सेवक वरियम सिंह अपनी चौकी पर डटे रहे और अन्तिम राउंड तक गोली चलाते रहे। अपनी निजी सुरक्षा की तनिक भी परवाह किए बिना चौकी पर कब्जा होने तक अपने कर्त्तव्य पालन में उन्होंने उदाहरणीय साहस और उच्च स्तरीय शौर्य का परिचय दिया। इस आक्रमण में स्वयं सेवक वरियम सिंह ने अपने प्राण न्यौच्छावर कर दिये और राष्ट्र की सेवा में उच्चकोटि की कर्त्तव्यनिष्ठा का उदाहरण कायम किया।

7. श्री नन्द सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं सेवक
सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब।

स्वयं सेवक बी० वी०-6956 नन्द सिंह पुत्र श्री जैमल सिंह, छठी सीमा बटालियन फाजिल्का में थे और उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन के साथ संबद्ध थी तथा फाजिल्का स्थित थल सेना ब्रिगेड के आपरेशनल कंट्रोल के अधीन थी। जब पाकिस्तानियों ने 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को फाजिल्का सीमा पर धोखे से अचानक आक्रमण किया तो उस समय बी० वी०-6956 स्वयं सेवक नन्द सिंह सीमा सुरक्षा दल की झांगेर चौकी पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना ने इस चौकी पर छोटे हथियारों के अतिरिक्त आर्टिलरी तथा टैंकों का प्रयोग भी किया। शत्रु सेना ने इस चौकी पर भारी गोलाबारी की और बहुत अधिक संख्या में शत्रु सैनिकों ने इस चौकी को घेर लिया। स्वयं सेवक नन्द सिंह अपने साथियों के साथ चौकी पर डटे रहे और उन्होंने अपने अन्य साथियों को बहादुरी के साथ शत्रु का मुकाबला करने के लिये प्रोत्साहित किया। अपने जीवन की बिल्कुल परवाह न करते हुए उन्होंने अनुकरणीय साहस तथा महान वीरता का परिचय दिया। दुश्मन ने इस चौकी को रौंध डाला और श्री नन्द सिंह ने अपने देश के सम्मान के लिये लड़ते हुए प्राण न्यौछावर कर दिए। स्वयं सेवक श्री नन्द सिंह ने अनुकरणीय कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया और अपने साथियों तथा देशवासियों के लिये साहस और निस्वार्थता का एक महान उदाहरण पेश किया।

8. श्री बचन सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं सेवक,
सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब।

स्वयं सेवक बी०वी०-6840 श्री बचन सिंह पुत्र श्री जैमल सिंह, 6 सीमा स्कन्ध बटालियन फाजिल्का में थे। उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन के साथ संबद्ध थी और वे फाजिल्का स्थित थल सेना ब्रिगेड के आपरेशनल कन्ट्रोल के अधीन थे। पाकिस्तानियों ने 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को फाजिल्का सीमा पर धोखे से अचानक आक्रमण कर दिया। बी० वी०-6840 स्वयं सेवक बचन सिंह, 'सी' कम्पनी पंजाब गृह रक्षक, फाजिल्का, सीमा सुरक्षा दल की सोवर वाली चौकी पर तैनात थे। पाकिस्तानी सेना ने इस चौकी पर भारी गोलाबारी की और बहुत अधिक संख्या में पाकिस्तानी सैनिकों ने इसे घेर लिया। दुश्मन का हमला बहुत ही भयानक था। पाकिस्तानी सेना द्वारा भारी गोलाबारी तथा उसके लगातार दबाव के बावजूद, स्वयं सेवक बचन सिंह ने अपनी चौकी को नहीं छोड़ा तथा वे आगे बढ़ते हुए दुश्मन पर गोली चलाते रहे और उस चौकी के रौंधे जाने पर उन्होंने अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। बहुत अधिक मुसीबतों के बावजूद, उन्होंने राष्ट्र की सेवा मे अनुकरणीय साहस एवं महान कर्त्तव्य-निष्ठा का परिचय दिया।

9. श्री रेशम सिंह, (मरणोपरांत)
स्वयं सेवक,
सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब।

स्वयं सेवक बी० वी०-6875 रेशम सिंह पुत्र श्री नाजर सिंह फाजिल्का सीमा स्कन्ध की छठी बटालियन के थे। उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन से संबद्ध थी और फाजिल्का मे आर्मी ब्रिगेड के आपरेशनल कन्ट्रोल में थी। पाकिस्तानियों ने 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को फाजिल्का सीमा पर धोखे से हमला किया। बी० वी०-6875 स्वयं सेवक रेशम सिंह, 'सी' कम्पनी पी० एच० जी०, फाजिल्का सीमा सुरक्षा दल की सोवर वाली चौकी पर तैनात थे। इस चौकी पर भारी गोलाबारी की गई परन्तु वे शत्रु के भारी दबाव के बावजूद अपनी चौकी पर डटे रहे। पाकिस्तानियों ने हमले को तेज कर दिया और चौकी पर बार-बार हमला करते रहे। स्वयं सेवक रेशम सिंह शत्रु के दबाव की परवाह न करते हुए गोली चलाते रहे और उन्होंने शत्रु को भारी संख्या में हताहत किया। भारी संघर्ष के बाद चौकी को रौंध दिया गया और स्वयं सेवक रेशम सिंह ने अपने देश के लिये लड़ते हुए इस चौकी में अपना जीवन न्यौछावर कर दिया। शत्रु के भारी संख्या में होने की परवाह न करत हुए उन्होंने उच्चकोटि की कर्त्तव्यपरायणता और अनुकरणीय साहस का परिचय दिया।

10. श्री तारा सिंह, (मरणोपरांत)
पंजाब।

सैक्शन लीडर बी० वी०-6877 तारा सिंह पुत्र श्री अनोख सिंह सीमा स्कन्ध बटालियन फाजिल्का से संबद्ध थे। वे आर्मी ब्रिगेड फाजिल्का सीमा के आपरेशनल कन्ट्रोल के अधीन बी०एस० एफ० की 22वीं बटालियन में थे। 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को, बी० वी०-6877, सैक्शन लीडर तारा सिंह, पुत्र श्री अनोख सिंह, 'सी' कम्पनी पी० एच० जी० फाजिल्का, बी० एस० एफ० की निर्मल नामक चौकी पर तैनात किया गया। इस चौकी पर बड़ी संख्या में पाकिस्तानियों ने भारी हमला और गोलाबारी की। ये हमला बड़ा भयानक था। इस सब की परवाह किये बिना वे दुश्मन पर लगातार गोलीबारी करते रहे और अपने अन्य साथियों को अपनी चौकियों पर जमे रहने तथा अधिक से अधिक संख्या में दुश्मनों को मारने के लिये प्रेरित करते रहे। बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी

सैनिकों ने इस चौकी को घेर लिया और इसे रौंध डाला । सैक्शन लीडर तारा सिंह ने बहुत बड़ी बहादुरी दिखाई और दुश्मन का मुकाबला करने के लिये अपने साथियों को प्रेरित किया । अपनी मातृभूमि के लिए लड़ते हुए उन्होंने अपने प्राणों की बलि दे दी ।

11. श्री जोगिंद्र सिंह,
पंजाब ।

स्वयं सेवक बी० बी०-6937 जोगिंद्र सिंह पुत्र श्री सरदारा सिंह, छठी बटालियन सीमा स्कन्ध, बटालियन फाजिल्का के थे । उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन से संबद्ध थी और फाजिल्का में आर्मी ब्रिगेड के आपरेशनल कन्ट्रोल में थी । छठी बटालियन सीमा स्कन्ध, पी० एच० जी०, फाजिल्का के स्वयंसेवक जोगिंद्र सिंह सीमा सुरक्षा दल से ही सम्बद्ध थे और झांगेर अग्रिम चौकी पर तैनात थे । 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को इस टुकड़ी पर शत्रु द्वारा भारी गोलाबारी की गई । इस टुकड़ी की तुलना मे पाकिस्तानी सैनिकों की संख्या काफी अधिक थी और भारतीय चौकी की सुरक्षा को कमजोर करने के लिए पाकिस्तानी टैंक भी लाए गए थे । स्वयं सेवक जोगिंद्र सिंह ने अपनी चौकी पर डटे रहने में अपूर्व साहस का परिचय दिया और वे अंतिम राउंड तक शत्रु की गोलाबारी का जबाव देते रहे । शत्रु को भारी संख्या में हताहत करने के बाद और इस तथ्य के बाजजूद कि उनके दोनों बाजुओं में बुरी तरह गोली से घाव हो गये थे, वह अपने बेस पिकेट पर वापस आ गए । स्वयं सेवक जोगिंद्र सिंह ने अपनी ड्यूटी निभाते हुए अपूर्व साहस, दृढ़ता एवं अत्यधिक वीरता का परिचय दिया और युद्ध में डटे रहने की ऊंची मिसाल कायम की ।

12. श्री बलकार सिंह, (मरणोपरांत)
पंजाब ।

स्वयं-सेवक बलकार सिंह पुत्र श्री मोहन सिंह, पंजाब गृह रक्षक सीमा बटालियन अमृतसर की तीसरी बटालियन के थे और बी० एस० एफ० की 27वीं बटालियन से संबद्ध थे । उन्हें बी० एस० एफ० की मोहावा चौकी की रक्षा के लिये बी० एस० एफ० में तैनात किया गया था । अपनी तैनाती के दौरान उन्होंने साहस, कर्तव्यनिष्ठा और बुद्धिमता का प्रमाण दिया और दुश्मन की गोलाबारी के बाजजूद वे अपनी चौकी पर डटे रहे तथा इस गोला बारी में भी उन्होंने अपने साथियो के लिये धैर्य से काम लेने की मिसाल कायम करने के लिये बड़े उत्साह और साहस का परिचय दिया । यद्यपि वे एक स्वयं-सेवक थे, तो भी वे सौंपे गये किसी भी विषम और कठिन कार्य को करने के लिए हमेशा आगे रहते थे । 17 दिसम्बर, 1971 के अपराह्न में दुश्मन ने बी० एस० एफ० की मोहावा चौकी पर मीडियम आर्टिलरी गनों से भारी गोलाबारी की और उनमें से एक गोला स्वयं सेवक बलकार सिंह के 'बंकर' पर जा गिरा जिससे घटना स्थल पर ही उनकी मृत्यु हो गई ।

13. श्री हरबन्स लाल,
पंजाब ।

बी० बी० 5253 स्वयं सेवक हरबंस लाल पंजाब गृह रक्षक, फीरोजपुर की पांचवीं बटालियन के थे तथा आर्मी ब्रिगेड की की समूची सैनिक कार्रवाई के अन्तर्गत पीरेका फीरोजपुर सीमा प्रेक्षण चौकी पर तैनात सीमा सुरक्षा दल से संबद्ध थे । 11 दिसम्बर, 1971 को हमारी सेनाओ द्वारा पीरेका (फीरोजपुर सीमा) की सीमा प्रेक्षण चौकी पर कब्जा करने के पश्चात् स्वयं सेवक हरबंस लाल समेत पंजाब गृह रक्षकों के स्वयं सेवकों को जीती हुई पिकेट पर कब्जा बनाये रखने के लिये तैनात किया गया । शत्रु ने भीषण प्रत्याक्रमण किया किंतु हमारे गृह रक्षक स्वयं सेवकों ने उनके आक्रमण को विफल कर दिया । भीषण लड़ाई में स्वयं सेवक हरबंस लाल गम्भीर रूप से घायल हो गये । निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे अपनी चौकी पर डटे रहे तथा जब तक शत्रु के आक्रमण को विफल न कर दिया तब तक गोली चलाते रहे । उन्होंने, इस तथ्य के बावजूद कि वे गम्भीर रूप से घायल हो गये अपने स्थान पर डटे रह कर उच्च कर्तव्यपरायणता, अनुकरणीय साहस तथा शौर्य का परिचय दिया ।

14. श्री माघ सिंह,
स्वयं सेवक,
सीमा स्कन्ध गृह रक्षक,
पंजाब ।

स्वयं सेवक बी० बी०-6908 माघ सिंह छठे सीमा स्कन्ध गृह रक्षक बटालियन फाजिल्का में थे । उनकी बटालियन सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन से संबद्ध थी तथा फाजिल्का में सैनिक ब्रिगेड की सैनिक कार्रवाई के नियंत्रण में थी । पाकिस्तानियों ने 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को फाजिल्का सीमा पर जोखिम भरा आक्रमण किया । 'सी' कम्पनी पंजाब गृह रक्षक फाजिल्का के बी० बी०-6908 स्वयं सेवक माघ सिंह पुत्र श्री लटकन सिंह सीमा सुरक्षा दल की चौकी पर तैनात थे । युद्ध शुरु होने से पहले उन्हें सीमा सुरक्षा दल की खोकर चौकी पर चले जाने का आदेश दिया गया । सीमा सुरक्षा दल की चौकी पर भारी गोलाबारी हो रही थी । जब सीमा सुरक्षा दल की चौकी को शत्रु की सेना के तीन कम्पनियों से ज्यादा कम्पनियों ने सीमा सुरक्षा दल की चौकी को घेर लिया तब स्वयं सेवक माघ सिंह, चौकी के इन्चार्ज द्वारा उन्हें सौंपी गई ड्यूटी कर रहे थे । शत्रु सेना ने भीषण आक्रमण किया । भारी आक्रमण के बाजजूद स्वयं सेवक माघ सिंह अपने स्थान पर डटे रहे तथा निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुए अंतिम राउंड तक गोली चलाते । उन्होंने अनुकरणीय साहस तथा उत्कृष्ट शौर्य का परिचय दिया । इस कार्रवाई में स्वयं सेवक बुरी तरह से घायल हो गये तथा स्वयं उत्तम चन्द द्वारा उन्हें भारतीय सीमा पर वापस लाया गया ।

15. श्री राम चन्द्र गुप्त,
गृह क्षिक,
उत्तर प्रदेश ।

गृह रक्षक राम चन्द्र गुप्त को कुछ पुलिस कर्मचारियों के साथ 20 अप्रैल, 1974 को साकेत महाविद्यालय, फैजाबाद में विधि तथा व्यवस्था बनाये रखने के लिये तैनात किया गया था । कालेज के कुछ प्रोफेसर तथा छात्र प्रिंसिपल श्री राम शंकर तिवाड़ी के कार्यालय में घुस गये और उन्हें पीटना शुरु कर दिया । हल्ले की आवाज सुन कर गृह रक्षक श्री राम चन्द्र गुप्त ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए प्रहार को रोकने तथा प्रिंसिपल को बचाने के लिये स्वयं को प्रिंसिपल तथा आक्रमणकारियों के बीच तैनात किया, इस प्रकार वह प्रिंसिपल की जान बचाने में सफल हुए परन्तु उसके दो दांत टूट गए और शरीर पर 11 घाव हुए थे तथा उसको बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया जहां उसका एक महीने से

अधिक की अवधि तक इलाज होता रहा। इस गृह रक्षक के साहसिक तथा वीरता के कार्य की जनता तथा प्रशासन द्वारा सराहना की गई।

16. श्री छक्कन लाल,
गृह रक्षक सैक्शन लीडर,
उत्तर प्रदेश ।

16 जून, 1974 को अपराह्न लगभग 2.30 बजे तीन बदमाश श्री अमर नाथ निवासी दरियाबाद, थाना अत्तरसुइया, इलाहाबाद सिटी की ग्रोसरी की दुकान पर कुछ खरीददारी करने के बहाने से आये और बाद में उसके साथ के मकान में घुस गये तथा घर के लोगों को पीटने के बाद नकदी तथा गहने लूटना आरम्भ कर दिया। हल्ला सुनकर पड़ोस में रहने वाला गृह रक्षक (सैक्शन लीडर) छक्कन लाल भी घटना स्थल पर पहुंचा और जब बदमाश मकान को लूटने के बाद वापस जा रहे थे तो उनका पीछा किया। पीछा करने के दौरान एक डाकू ने छक्कन लाल के मुंह तथा हाथ पर चाकू से दो घाव कर दिए। परन्तु वह भयभीत नहीं हुआ तथा अपने गम्भीर घावों और जीवन के खतरे के बावजूद पीछा करता रहा और अन्त में एक बदमाश को पकड़ने में सफल हो गया जो दर्ज डाकू था और एक मामले में, जिसमे पहिले उसने हत्या की थी, फरार था। इस प्रकार गृह रक्षक छक्कन लाल ने अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए असाधारण उत्साह तथा कर्त्तव्यपरायणता का परिचय दिया।

17. श्री कृष्ण मोहन सिह,
जमादार, कम्पनी कमांडर,
बिहार ।

श्री कृष्ण मोहन सिंह ने तारीख 1 मई, 1967 को बिहार गृह रक्षक संगठन में प्रवेश किया। उन्होंने केंद्रीय प्रशिक्षण कैम्प बिहटा में छः मास का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उसके बाद उन्होंने पटना और साहेबगज में कम्पनी कमांडर के रूप में सेवा की। वे एक उत्कृष्ट खिलाड़ी हैं और गृह रक्षक संगठन में क्रीडा तथा खेल-कूद के आयोजन में बहुत सहायक रहे हैं।

तारीख 18 मार्च, 1974 को पटना में एक हिंसात्मक घटना हुई। पुलिस उप-अधीक्षक श्री एम० के० झा पर जो सचिवालय के पास इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स में प्रतिनियुक्त थे, अनियंत्रित भीड़ ने निर्दयता पूर्ण हमला किया और उन्हें बेहोश हालत में सड़क पर फैंक दिया। इस असहाय पुलिस अधिकारी जो बेहोश हालत में था और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नही था, के पास जाने का किसी ने साहस नहीं किया। कम्पनी कमांडर श्री कृष्ण मोहन सिंह ने पुलिस अधिकारी की दर्दनाक हालत के बारे में सुना और अपनी सुरक्षा की परवाह न करते हुए वे जल्दी से उस स्थान की ओर गये जहां श्री झा बेहोशी की हालत में पड़े हुए थे, उन्हें उठाया और उनको उनके घर पहुंचाया। उन्होंने उनके लिए तत्काल चिकित्सा का प्रबन्ध किया। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी कानून और व्यवस्था बनाए रखने में अत्यधिक व्यस्त थे। इसलिये श्री कृष्ण मोहन सिंह को पुलिस उप-अधीक्षक की उपयुक्त चिकित्सा का प्रबन्ध करने के लिये दो दिन तक उनकी देख-भाल करनी पड़ी। इस प्रकार उन्होंने अपूर्ण साहस दिया और जिम्मेदारी की ऊंची भावना और कर्त्तव्य निष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने वास्तव में एक पुलिस उप-अधीक्षक की जान बचाई जिस पर अनियंत्रित भीड़ द्वारा निर्दयता पूर्ण हमला किया गया था।

इस युवा अधिकारी ने जो वीरतापूर्ण कार्य किया है वह बहुत ही प्रशंसनीय है।

18. श्री सैछुंगा, (मरणोपरांत)
गार्डस्मैन स्वयं सेवक,
मिजोरम ।

19 जुलाई, 1974 को मिजोरम के एज़ावल जिले के जम्बाक गांव के रत्तावना नामक एक लुटेरा एक देशी पिस्तौल लेकर अर्द्धरात्रि को लुंगवेल ग्रुपिंग सेंटर के श्री बिआक थूवामा के मकान में घुस गया और बन्दूक दिखाकर उससे 780.00 रुपये लूट लिये। जब लुटेरा मकान छोड़ कर चला गया तो श्री बिआक थूवामा ने स्वयं सेवक गार्डस्मैन नं० 349 सैछुंगा (स्व०), जो सरकारी गोदाम की रक्षा के लिये लुंगवेल ग्रुपिंग सेंटर पर तैनात किया गया था, को सूचित किया। गार्डस्मैन नं० 349 सैछुंगा ने चतुराई से अपराधी का पीछा किया जो अंधेरे की आड़ में जंगल की ओर बच कर भाग गया था। वह ग्रुपिंग सेंटर से 11 किलोमीटर की दूरी पर अपराधी को अकेले काबू करने में सफल हुआ। अपनी चतुराई और सूझ-बूझ से वह अपराधी से देशी पिस्तौल छीन सका और धनराशि वसूल कर सका। उसने लुटेरे को देशी पिस्तौल के साथ थाने सेरछिप के हवाले कर दिया।

3 मार्च, 1974 को लुटेरे श्री जल्लुअंगा और रोल्लुअंगा सिविल कैंटीन से 10,000.00 रुपये लूटने के बाद दर्तलांग ग्रुपिंग सेंटर से बच कर भाग रहे थे। यह सूचना मिलने पर कि अपराधी लुंगलैई रोड की ओर जा रहे हैं, गार्डस्मैन स्वम सेवकों ने दिन रात निगरानी रखी। गार्डस्मैन नं० 349 सैछुंगा ने लुटेरे का, जो अंधकार की आड़ में बच कर भागने का प्रयास कर रहे थे, पता लगालिया चूंकि यह मालूम हुआ था कि लुटेरों के पास छुरे आदि जैसे घातक हथियार हैं, अतः उसने, अन्य साथी गार्डस्मैनों की सहायता से अपने जीवन पर भारी खतरा लेकर अपराधियों को पकड़ लिया। उन्होंने लुटेरों से 10,000.00 रुपयों में से 9511.25 रुपये की रकम वसूल कर ली। लुटेरों को, उसने वसूल की गई नकदी के साथ सेरछिप थाने के हवाले कर दिया गया।

25 फरवरी, 1975 को अपराधी बहादुर ठाकुरी उर्फ कंछा ने जिसने उचित पारपत्र के बिना मिजोरम में घुसपैठ की थी और जिसके बारे में अनेक अपराधिक मामलों में अंतर्ग्रस्त होने का विश्वास था, लुंगवेल ग्रुपिंग सेंटर में प्रवेश किया। यह सुनकर गार्डस्मैन नं० 349 सैछुंगा ने जांच-पड़ताल की और पता लगाया कि उक्त अपराधी इस केंद्र से 10 कि० मी० दूर जंगल में छुपा हुआ है। वह तुरंत निभृत स्थान की ओर गया। अन्त में उसने उसका पता लगा लिया किंतु उसे खुकरी से लैस पाया। चतुराई और सूझ-बूझ से वह उसे गिरफ्तार कर सका और उसे लुंगवेल ग्रुपिंग सेंटर से प्रशासनिक अधिकारी के पास ला सका। अपने सहयोगियों गार्डस्मैन नं० 348 थंकबूका और गार्डस्मैन नं० 350 कोब्बिका के साथ श्री सैछुंगा ने अपराधी को सेरछिप थाने पहुंचाया जो उनकी चौकी से लगभग 60 कि० मी० दूर था। लौटते हुए उन्होंने एजावल की ओर आती हुई 571 ए० एस० सी० बटालियन मार्फत 99 ए० पी० ओ० के एक सैनिक वाहन का उपयोग किया जो दुर्भाग्यवश बक्तौंग ग्रुपिंग सेन्टर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गार्डस्मैन नं० 349 सैछुंगा की घटनास्थल पर मृत्यु हो गई।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि स्वयं सेवक गार्डसमैन नं० 349 सेछुगा आवश्यकता पड़ने पर हमेशा, छोटे-मोटे चोरों, अवैध शराब बेचने वालों को पकड़ने, समाज की सहायता करने जैसे कार्यों को निष्ठा से करते थे। लुंगवेल ग्रुपिंग सेंटर के लोगों द्वारा उनकी सराहना की गई।

2. ये पदक गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करने से संबंधित नियमों के नियम 3(1) के अन्तर्गत दिये जाते हैं और परिणामस्वरूप इनके साथ नियम 5 के अन्तर्गत विशेष ग्राह वित्तीय अनुदान भी दिया जाता है।

सं० 101-प्रेज/75—राष्ट्रपति, 1975 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी सराहनीय सेवा के लिये गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करते हैं :—

श्री वैंकटेश कृष्ण भंडारकर,
कमांडेंट, गृह रक्षक,
महाराष्ट्र।

श्री यशवंत विष्णु कलासकर,
वरिष्ठ प्रभागीय कमांडेंट,
महाराष्ट्र।

श्री माधव राव नारायण राव जाधव,
कमांडेंट, गृह रक्षक,
महाराष्ट्र।

श्री शिव शंकर सिंह शुकूल,
कमांडेंट, गृह रक्षक
मध्य प्रदेश।

श्री राम सरण मित्तल,
कनिष्ठ स्टाफ आफिसर, गृह रक्षक,
उत्तर प्रदेश।

श्री उदय वीर सिंह,
कनिष्ट स्टाफ आफिसर, गृह रक्षक,
उत्तर प्रदेश।

श्री कैलाश चन्द्र मिश्र,
डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, गृह रक्षक,
उत्तर प्रदेश।

श्री राय राजेश्वर बाली,
कमांडेंट, जिला प्रशिक्षण केंद्र,
गृह रक्षक,
उत्तर प्रदेश।

श्री राजेंद्र सिंह,
कमांडेंट, जनरल गृह रक्षक एवं निदेशक नागरिक सुरक्षा,
हिमाचल प्रदेश।

हवलदार अर्जुन सिंह,
चल सिविल आपातकालिक दल,
दिल्ली (गृह मंत्रालय)।

कास्टेबल बलजीत सिंह,
चल सिविल आपातकालिक दल,
(गृह मंत्रालय)।

श्री तिरलोक बक्शी,
सहायक महानिदेशक नागरिक सुरक्षा,
नागरिक सुरक्षा महा निदेशालय,
(गृह मन्त्रालय),
नई दिल्ली।

2. ये पुरस्कार, गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करने से संबंधित नियमों के नियम 3(2) के अधीन प्रदान किए जाते हैं।

सं० 102-प्रेज/75.—राष्ट्रपति, सन् 1975 के स्वतन्त्रता दिवस के अवसर पर निम्नलिखित अधिकारियों को उनकी वीरता के लिये राष्ट्रपति का गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करते हैं.—

1. स्वयं सेवक जरनैल सिंह, सीमा स्कन्ध गृह रक्षक, पंजाब।

सीमा स्कन्ध रक्षक बटालियन फाजिल्का के स्वयं सेवक जरनैल सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह बी० बी०-7474, सीमा सुरक्षा दल, जलालाबाद की 26वीं बटालियन से सम्बद्ध थे और थल सेना के आपरेशनल कन्ट्रोल के अधीन थे। 3 दिसम्बर, 1971 की शाम को पाकिस्तानियों ने फिरोजपुर-फाजिल्का सीमा पर अचानक हमला किया। इस चैक पोस्ट पर पाकिस्तानी सेना द्वारा हमले की गंभीर आशंका थी। पोस्ट के नजदीक पाकिस्तान के उस क्षेत्र में सरकण्डे की पैदावार भी बहुत बड़ी हुई थी। जहां से हमला होने की सम्भावना थी। पोस्ट के इन्चार्ज ने पाकिस्तानी कब्जे के क्षेत्र में सरकण्डे की पैदावार को आग लगाने का विचार किया ताकि गोलाबारी का मैदान दिखाई दे। जब पिकेट कमांडर ने इस खतरनाक काम करने के लिये एक स्वयं सेवक के लिये कहा तो पंजाब गृह रक्षक जलालाबाद की छठी बटालियन की "एफ" कंपनी के बी० बी०-7474 स्वयं सेवक जरनैल सिंह पुत्र श्री इन्द्र सिंह इस कार्य को करने के लिये स्वेच्छा से आगे आये। आग लगाये जाने वाले सरकण्डों पर छिड़कने के लिये उन्हें काफी मात्रा में पैट्रोल दिया गया। वे विस्फोटक सामग्री लेकर शत्रु में काफी आगे तक चले गये और उन्होंने सरकण्डों को आग लगा दी। इस काम को करते हुये उनके कपड़ों में आग लग गई तथा वे जलने से जख्मी हो गये और उपचार के लिये उन्हें सिविल अस्पताल जलालाबाद में दाखिल किया गया। स्वय सेवक जरनैल सिंह ने जब यह खतरनाक सैन्य ड्यटी स्वीकार की तो उन्होंने अपनी सुरक्षा की जरा भी परवाह न करते हुये अदम्य साहस दिखाया। उन्होंने अपने जीवन को खतरे में डालते हुये असाधारण कर्त्तव्यनिष्ठा का परिचय दिया।

2. स्वयं सेवक उत्तम चन्द, सीमा स्कन्ध गृह रक्षक, पंजाब।

स्वयं सेवक बी० बी०-6928 उत्तम चन्द पुत्र श्री गुरु दित्ता, छठी सीमा स्कंध गृह रक्षक फाजिल्का में थे। उनकी बटालियन, सीमा सुरक्षा दल की 22वीं बटालियन से संबद्ध थी और फाजिल्का स्थित थल सेना ब्रिगेड के आपरेशनल कंट्रोल के अधीन थी और उनकी तैनाती फाजिल्का बार्डर पर स्थित खोकर पोस्ट पर की गई। 3 और 4 दिसम्बर, 1971 की रात्रि को इस चौकी पर भारी गोलाबारी हुई। गोलाबारी के दौरान, एक दूसरे स्वयं सेवक श्री माघ सिंह, को गम्भीर चोटें आईं। इसके बावजूद कि उनका अपना गोलाबारूद समाप्त हो चुका था, स्वयं सेवक उत्तम चन्द,

अपनी निजी सुरक्षा की परवाह न करते हुये, अपने घायल साथी को अपने कंधों पर उठा कर "बेस पिकेट" वापस ले आये और इस प्रकार उन्होंने अपने साथी की जान बचाई। स्वयं सेवक उत्तम चन्द ने शत्रु के दबाव के बावजूद भी सीमा सुरक्षा दल के "बेस पिकेट" पहुंचने के लिये अपने घायल साथी को एक मील से भी अधिक दूरी तक उठा कर ले जाने में घनिष्ठ मैत्री भाव का सबूत दिया। इसलिये, इस वीरतापूर्ण और साहसिक कार्य के लिये स्वयं सेवक उत्तम चन्द पुरस्कृत किये जाने के पात्र है।

2. ये पदक राष्ट्रपति का गृह रक्षक और नागरिक सुरक्षा पदक प्रदान करने से संबंधित नियमों के नियम 3(1) के अन्तर्गत दिये जा रहे है और परिणाम स्वरूप नियम 5 के अधीन विशेष ग्राह्य वित्तीय अनुदान भी दिया जायेगा।

कृ० बालचन्द्रन्
राष्ट्रपति के सचिव

मन्त्रिमंडल सचिवालय

(कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग)

नई दिल्ली-110001, दिनांक 30 जुलाई 1975

सं० 4/10/73-स्थापना (घ)—वर्ष 1972 में केन्द्रीय सरकार ने ऐसी इंजीनियरी सेवाओं तथा पदों में सीधी भर्ती के लिए, जिनके लिए इंजीनियरी डिग्री अथवा डिप्लोमा मूल अर्हता निर्धारित थी और जिन्हें इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा 1972 तथा 1973 और इंजीनियरी सेवाएं (इलैक्ट्रानिकी) परीक्षा 1973 तथा 1974 के आधार पर भरा जाना था, ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की वृद्धि करने का निर्णय किया था। इन रियायतों को आगे वर्ष 1975 तक ली गई परीक्षाओं के लिए भी लागू कर दिया गया था। सरकार द्वारा इस मामले पर अब फिर से विचार किया गया है और यह निर्णय लिया गया है कि 1976 से संघ लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली सम्मिलित इंजीनियरी सेवाएं परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा को स्थायी तौर पर, विद्यमान 25 वर्ष से बढ़ा कर 27 वर्ष कर दिया जाएगा।

एस० कृष्णन, निदेशक

कृषि और सिंचाई मंत्रालय

(कृषि विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जुलाई 1975

संकल्प

सं० 21-3/75-सामान्य समन्वय—कृषि मंत्रालय के कृषि विभाग के दिनांक 4 अक्तूबर 1974 के संकल्प सं० 21-5/73-सामान्य समन्वय के क्रम में भारत सरकार ने राष्ट्रीय कृषि आयोग (जिसका भूतपूर्व खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास और सहकारिता मंत्रालय के कृषि विभाग के संकल्प सं० 25-13/68-सामान्य समन्वय दिनांक 29 अगस्त 1970 द्वारा गठन किया गया था) के कार्यकाल को 31 दिसम्बर 1975 तक बढ़ाने का निर्णय किया है, ताकि आयोग अपने कार्य को पूरा कर सके।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक-एक प्रति, राष्ट्रीय कृषि आयोग के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और समस्त पूर्णकालिक और अंशकालिक सदस्यों, भारत सरकार के सम्मत मंत्रालयों/विभागों, प्रधानमंत्री सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, योजना आयोग, मंत्रिमंडल सचिवालय, भारत सरकार के महा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, समस्त राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों के कृषि विभागों के सचिव, कृषि और सिंचाई मंत्रालय (कृषि विभाग) के समस्त संलग्न और अधीनस्थ कार्यालयों, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, संसद् पुस्तकालय (5 प्रतियां) को भेज दी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सार्वजनिक जानकारी के लिए संकल्प को भारत के राजपत्र में भी प्रकाशित किया जाये।

सतोख सिंह, उप-सचिव

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्रालय

(शिक्षा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 18 जुलाई 1975

संकल्प

स० एफ० 15-9/75-यू०-1—इतिहासकारों को एकत्र करने तथा उनके लिए आपस में विचार-विनिमय के लिए मंच की व्यवस्था करने तथा उद्देश्य को राष्ट्रीय दिशा देने तथा इतिहास को राष्ट्रीय तौर से प्रस्तुत करने और उसकी व्याख्या करने और इतिहास प्रणाली-विज्ञान और ऐतिहासिक अनुसधान से संबंधित सभी मामलों पर, जो समय-समय पर उसे भेजे जाएं, भारत सरकार को सलाह देने के उद्देश्य से भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, नई दिल्ली-एक पंजीकृत सोसाइटी की स्थापना मार्च, 1972 में हुई थी। "भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद् नई दिल्ली के नियम 1972" के नियम 3 के अन्तर्गत भारतीय इतिहास अनुसधान परिषद् के पुनर्गठन का संकल्प करती है जिसमे पुनर्गठित परिषद् की पहली बैठक की तारीख से निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(1) अध्यक्ष

1. प्रोफेसर आर० एस० शर्मा इतिहास विभागाध्यक्ष, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली।	प्रो० शर्मा को परिषद् का अध्यक्ष मार्च, 1972 में नियुक्त किया गया था। चूंकि नियम 13 के अन्तर्गत परिषद् के पहले अध्यक्ष की कार्यालय अवधि 5 वर्ष थी, वे मार्च, 1977 तक अध्यक्ष के रूप में जारी रहेंगे।

(2) भारत सरकार द्वारा मनोनीत 18 इतिहासकार

2. प्रो० बी० शेक अली,
इतिहास विभागाध्यक्ष,
मैसूर विश्वविद्यालय,
मनसा गंगोत्री,
मैसूर-570006.

3. प्रो० सतीश चन्द्र,
उपाध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली-110001 ।

4. प्रो० वरुण दे,
निदेशक,
सामाजिक विज्ञानों के अध्ययन का केन्द्र,
10, लेक टैरेस,
कलकत्ता-700029 ।

5. प्रो० एस० गोपाल,
इतिहास अध्ययन केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरु विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110057 ।

6. प्रो० इरफान एम० हबीब,
इतिहास विभाग,
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय,
अलीगढ़ (उत्तर प्रदेश) ।

7. प्रो० ए० आर० कुलकर्णी,
इतिहास विभाग,
पूना विश्वविद्यालय,
पूना-411007 ।

8. प्रो० सतीश सी० मिश्र,
इतिहास विभाग,
एम० एस० विश्वविद्यालय,
बड़ौदा-390002 ।

9. प्रो० जी० आर० शर्मा,
इतिहास तथा पुरातत्व विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय,
इलाहाबाद-211002 ।

10. प्रो० (कुमारी) रोमिला थापर,
इतिहास अध्ययन केन्द्र,
जवाहर लाल नेहरू, विश्वविद्यालय,
नई दिल्ली-110057 ।

11. प्रो० एम० अजहर अन्सारी,
इतिहास विभाग,
जामिया मिलिया इस्लामिया,
जामिया नगर-110025 ।

12. प्रो० एच० के० बारपुजारी,
इतिहास विभाग,
गोहाटी विश्वविद्यालय,
गोहाटी-1 (असम) ।

13. प्रो० एस० बी० देव,
प्राचीन इतिहास तथा पुरातत्व विभाग,
दक्कन कालेज,
पूना-6 ।

14. प्रो० लालनजी गोपाल,
प्राचीन भारतीय इतिहास,
संस्कृति तथा पुरातत्व विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणासी-5 ।

15. प्रो० पी० एस० गुप्त,
इतिहास विभाग,
दिल्ली विश्वविद्यालय,
दिल्ली-7 ।

16. प्रो० आनन्द कृष्ण,
ललित कला विभाग,
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय,
वाराणासी-221005 ।

17. प्रो० वी० एम० रेड्डी,
इतिहास विभाग,
श्री वेंकटेश्वर विश्वविद्यालय,
तिरुपति-517502 ।

18. प्रो० फौजा सिंह,
इतिहास विभाग,
पंजाबी विश्वविद्यालय,
पटियाला ।

19. प्रो० एस० आर० सिंह,
इतिहास विभाग,
बिहार विश्वविद्यालय,
मुजफ्फरपुर ।

(3) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का प्रतिनिधि

20. डा० जे० एन० कौल,
संयुक्त सचिव,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
नई दिल्ली ।

(4) महानिदेशक पुरातत्व—पदेन

21. डा० एम० एन० देशपांडे,

(5) निदेशक, राष्ट्रीय अभिलेखागार—पदेन

22. डा० एस० एन० प्रसाद,

(6) भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करने वाले 4 व्यक्ति

23. प्रो० एस० नूरुल हसन,
शिक्षा,
समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्री

24. श्री के० एन० चन्ना,
शिक्षा सचिव,
शिक्षा तथा समाज कल्याण
मंत्रालय,
[नई दिल्ली ।

25. डा० (श्रीमती) कपिला वात्स्यायन,
संयुक्त शिक्षा सलाहकार
(संस्कृति) शिक्षा,
समाज कल्याण तथा संस्कृति मंत्रालय,
(संस्कृति विभाग),
नई दिल्ली ।

26. वित्तीय सलाहकार (ई० ए०
तथा ई०),
वित्त मंत्रालय,
(व्यय विभाग),
नई दिल्ली ।

27. सदस्य-सचिव—(रिक्त)

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक प्रतिलिपि निदेशक, भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद्, 35, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली, को भेज दी जाए ।

यह भी आदेश दिया जाता है कि सामान्य सूचना के लिए इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए ।

अनिल बोर्दिया, निदेशक (विश्वविद्यालय)

PRESIDENT'S SECRETARIAT

New Delhi, the 15th August 1975

No. 94-Pres./75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 1975, to award the President's Police Medal for distinguished service to the undermentioned officers :—

Shri Srinivasa Anandaram,
Director,
Anti-Corruption Bureau, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Sudhish Narain Singh,
Deputy Inspector General,
Home Guards, Patna,
Bihar.

Shri Chandradeo Prasad,
Deputy Superintendent of Police,
Intelligence Branch, Patna,
Bihar.

Shri Bireshwar Prasad Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Intelligence Branch, Patna,
Bihar.

Shri Diwan Chand Sharma,
Inspector General of Police, Himachal Pradesh,
Simla.

Shri Shivaputra Siddalingappa Hasabi,
Assistant Commissioner of Police,
Incharge Malleswaram Division, Bangalore City,
Karnataka.

Shri Devaraj Urs Vijayadevaraj Urs,
Deputy Inspector General of Police,
Southern Range, Mysore,
Karnataka.

Shri Gopala Kurup Karunakara Kurup,
Deputy Superintendent of Police,
Kerala.

Shri Vasant Kumar Dharkar,
Deputy Inspector General of Police, Indore,
Madhya Pradesh.

Shri Shridhar Vyankatesh Tankhiwale,
Commissioner of Police,
Poona.
Maharashtra.

Shri Krishnan Radhakrishnan,
Deputy Inspector General of Police,
Criminal Investigation Department,
Madras,
Tamil Nadu.

Shri Deenadayalu Krishnan,
Deputy Inspector General of Police,
Central Range, Tiruchirapalli,
Tamil Nadu.

Shri Shiva Kumar Singh,
Deputy Superintendent of Police,
U.P. Vigilence Establishment, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Patit Paban Das,
Assistant Commandant,
Eastern Frontier Rifles,
1st Battalion, Midnapore,
West Bengal.

Shri Bhawanimal
Inspector General of Police,
Delhi.

Shri B. N. Mehra,
Superintendent of Police,
Security,
New Delhi.

Shri Gopal Prasad Dube,
Deputy Superintendent of Police,
Central Bureau of Investigation,
Jabalpur.

Shri Sudarshan Singh Bajwa,
Divisional Organiser,
Cabinet Secretariat.

Shri Sukhamoy Sen,
Assistant Inspector General,
Eastern Zone,
Central Industrial Security Force.

Shri Kundapur Harsha,
Joint Assistant Director,
Subsidiary Intelligence Bureau, Madras,
Intelligence Bureau.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the Rules governing grant of the President's Police Medal.

No. 95-Pres./75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day, 1975, to award the Police Medal for meritorious service to the undermentioned officers :—

Shri Dhulipala Appa Rao,
Director,
Police Communications,
Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Varkoor Srinivasa Rao,
Superintendent of Police,
Kurnool District,
Andhra Pradesh.

Shri Caringula Baburao Jaipal,
Director,
Finger Print Bureau, Hyderabad,
Criminal Investigation Department,
Andhra Pradesh.

Shri Alike Chalapathi Rao,
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance Cell,
Civil Supplies Department, Guntakal,
Andhra Pradesh.

Shri Malik Akhlaq Hussain Khan,
Inspector of Police,
Central Crime Station, Hyderabad,
Andhra Pradesh.

Shri Konala Suryanarayana Reddy,
Inspector of Police,
Andhra Pradesh.

Shri Kommireddi Venkateswara Rao,
Head Constable No. 1352,
Andhra Pradesh.

Shri Sachidanand Shrivastava,
Deputy Inspector General of Police,
Tirhut Range, Muzaffarpur,
Bihar.

Shri Gajendra Narain,
Superintendent of Police,
Intelligence Branch, Patna,
Bihar.

Shri Chandra Nath Kumar,
Deputy Superintendent of Police,
Bihar Military Police III Govindpur,
Bihar.

Shri Bishwanath Pandey,
Wing Commander,
Bihar Military Police X, Patna,
Bihar.

Shri Laxmi Narain Singh,
Inspector of Police,
Intelligence Branch,
Bihar.

Shri Tarini Prasad Verma,
Sub-Inspector of Police, Radio,
Bihar.

Shri Phulena Rai,
Subedar Major,
Bihar Military Police VI, Muzaffarpur,
Bihar.

Shri Sukhlal Soren,
Constable
Santhal Parganas
Bihar.

Shri Kapildeo Singh,
Constable,
Central Range, Patna,
Bihar.

Shri Kantilal Fulchand Shah,
Superintendent of Police,
Special Branch, Ahmedabad City,
Gujarat.

Shri Rahimbhai Karimbhai Desai,
Sub-Inspector of Police,
Special Branch, Ahmedabad City,
Gujarat.

Shri Balwantsinh Fatesinh Jadeja,
Unarmed Head Constable,
Western Railway,
Gujarat.

Shri Vishwanath Lahu,
Grade I Jemadar, Ahmedabad City,
Crime Branch,
Gujarat.

Shri Dattu Bhavdu Patil,
Unarmed Police Constable, Crime Branch,
Ahmedabad City,
Gujarat.

Shri Manmohan Singh,
Deputy Inspector General of Police,
Haryana Armed Police, Chandigarh (Haryana)

Shri Ved Parkash,
Deputy Superintendent of Police,
Rohtak (Haryana).

Shri Piara Lal,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Deptt., Haryana.

Shri Amin Chand,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Deptt., Himachal Pradesh.

Shri Sada Ram Yadav,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Simla District, Himachal Pradesh.

Shri Ghulam Jeelani Pandit,
Superintendent of Police,
Srinagar (J&K).

Shri Mohd Syed,
Inspector of Police,
Criminal Investigation Deptt., (Special Branch),
Srinagar (Jammu & Kashmir).

Shri Athur Rangabashiam Sridharan,
Assistant Inspector General of Police,
Bangalore, Karnataka.

Shri Gurunath Keshav Zalki,
Deputy Superintendent of Police,
State Vigilance Commission, Bangalore,
Karnataka.

Shri Peter Samul Mara,
Police Inspector (Wireless),
Karnataka State Police Radio Gride,
Bangalore,
Karnataka.

Shri Thernahalli Rudrappa Ramegowda,
Circle Inspector of Police,
Central Division, Bangalore City,
Karnataka.

Shri H. Veeraiah,
Sub-Inspector of Police,
Bangalore City,
Karnataka.

Shri Puthenpurayil Madai Padmanabhan,
Deputy Superintendent of Police,
Kerala.

Shri Mavelil Kuttan Pillai Gopinathan Nair,
Circle Inspector of Police,
Kerala.

Shri Katiyapurath Kunhikrishnan Nambiar,
Armed Police Inspector,
Kerala.

Shri Parakkal Mohammed,
Havildar,
Kerala.

Shri Dilip Vithalrao Ghate,
Superintendent of Police,
Rewa,
Madhya Pradesh.

Shri Maharaj Singh,
Superintendent, Railway Police,
Western Section, Jabalpur.
Madhya Pradesh.

Shri Kashi Narayan Mishra,
Deputy Superintendent of Police,
District Special Branch, Bhilai,
Madhya Pradesh.

Shri Shantaram Kanade,
Deputy Superintendent of Police,
(Prosecution) Gwalior,
Madhya Pradesh.

Shri Shripatrao Shankerrao Thorat,
Assistant Commandant,
17th Battalion, Special Armed Force, Bhind,
Madhya Pradesh.

Shri Gopal Singh Yadav,
Assistant Commandant,
24th Battalion, Special Armed Force,
Madhya Pradesh.

Shri Angad Singh,
Sub-Inspector of Police,
Damoh,
Madhya Pradesh.

Shri Yashwant Rao,
Head Constable No. 106,
15th Battalion, Special Armed Force, Indore,
Madhya Pradesh.

Shri Harnath Singh,
Constable No. 437,
District Bhind,
Madhya Pradesh.

Shri Muneshwar Prasad,
Assistant Sub-Inspector of Police,
Rewa,
Madhya Pradesh.

Shri Parthasarthy Pundi Rajagopalan,
Deputy Commissioner of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Basantrao Ramrao Deshmukh,
Deputy Superintendent of Police,
Anti-Corruption & Prohibition Intelligence,
Bureau, Nagpur Range,
Maharashtra.

Shri Chandrakant Trimbak Patki,
Inspector of Police,
Police Training College, Nasik,
Maharashtra.

Shri Gangadhar Tukaram Keskar,
Assistant Commissioner of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Madhav Trimbak Gupta,
Inspector of Police,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Kashinath Tukaram Patil,
Sub-Inspector of Police,
Jalgaon District,
Maharashtra.

Shri Vinayak Chimaji Awakikar,
Head Constable No. 5017/K,
Greater Bombay,
Maharashtra.

Shri Balu Mukund Jadhav,
Armed Head Constable,
Poona City,
Maharashtra.

Shri Krishna Sambhaj Barge,
Unarmed Police Head Constable,
District Satara,
Maharashtra.

Shri Loknath Ghasiram Naik,
Unarmed Head Constable,
Nagpur City,
Maharashtra.

Shri Shaikh Yusuf Shaikh Adam,
Armed Head Constable,
Maharashtra.

Shri Vithal Pandharinath Jagdale,
Unarmed Police Constable, B. No. 1961,
Poona City,
Maharashtra.

Shri Sadananda Sinha,
Deputy Inspector General of Police,
Southern Range, Berhampur,
Orissa.

Shri Basant Kumar Mohanti,
Assistant Inspector General of Police,
Vigilance,
Orissa.

Shri Adikondo Behera,
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance Directorate, Cuttack,
Orissa.

Shri Bhagaban Mishra,
Inspector of Police,
Ganjam District,
Orissa.

Shri Sher Jang Bahadur Ohri,
Assistant to Deputy Inspector General,
of Police, Criminal Investigation Department,
Punjab.

Shri Shiv Narain Uppal,
Deputy Superintendent of Police,
Punjab.

Shri Sunder Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Punjab.

Shri Sukhdev Singh,
Inspector of Police,
Vigilance Bureau,
Punjab.

Shri Rameshwar Nath Gaur,
Additional Superintendent of Police,
'City', Jaipur,
Rajasthan.

Shri Hari Singh Purohit,
Deputy Superintendent of Police,
Beawar Circle, Ajmer District,
Rajasthan.

Shri Zalam Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Barmer,
Rajasthan.

Shri Tek Chand,
Inspector of Police,
Sri Ganganagar,
Rajasthan.

Shri Yogesh Chandra,
Sub-Inspector of Police,
District Special Branch, Udaipur,
Rajasthan.

Shri Radhey Shyam,
Head Constable No. 26,
Civil Police, District Alwar,
Rajasthan.

Shri Bhanwar Singh,
Head Constable No. 48,
Rajasthan Armed Constabulary, 2nd
Rajasthan.

Shri Roshanlal Handa,
Superintendent of Police on Deputation,
as Commissioner for Security,
Neyveli Lignite Corporation Ltd., Neyveli,
Tamil Nadu.

Shri Paramadasan Dorai,
Superintendent of Police and
Assistant Inspector General of Police,
Madras,
Tamil Nadu.

Shri Etekkepravan Veettil Kunhiraman Nambiar,
Deputy Superintendent of Police,
Vigilance and Anti-Corruption,
Chingleput Detachment, Kanchipuram,
Tamil Nadu.

Shri Pallur Rangappa Reddy Purushothaman,
Deputy Inspector of Police, *(Officiating)*
Chingleput (East),
Tamil Nadu.

ShriMd. Abdul Hai, *(Officiating)*
Head Constable No. 1484,
Madras City Police,
Tamil Nadu.

Shri Vishwasam Yesu Adimai,
Head Constable No. 546,
Vigilance and Anti-Corruption,
Kanyakumari Detachment, Kanyakumari,
Tamil Nadu.

Shri Rajamannar Gopalakrishnan,
Police Constable No. 247,
Thanjavur (East) District,
Tamil Nadu.

Shri Jayendra Nath Chaturvedi, *(Officiating)*
Deputy Inspector General of Police,
Kanpur Range, Kanpur,
Uttar Pradesh.

Shri Shatrughan Prasad Mishra,
Superintendent of Police,
Crime Branch, Criminal Investigation,
Department, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Jag Mohan Saksena,
Superintendent of Police, *(Officiating)*
Sitapur,
Uttar Pradesh.

Shri Indra Prakash Bhatnagar,
Superintendent of Police, *(Officiating)*
U.P. Vigilance Establishment, Kanpur,
Uttar Pradesh.

Shri Pratap Bhan Bajpai,
Deputy Superintendent of Police, *(Officiating)*
Intelligence Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Syed Murtaza Zaidi,
Deputy Superintendent of Police, *(Officiating)*
Crime Branch,
Criminal Investigation Department, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Dwarika Singh,
Superintendent of Police, *(Officiating)*
Crime Branch,
Criminal Investigation Department, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Mashooq Ahmad,
Platoon Commander,
IV Battalion, Pradeshik Armed Comonstabulary,
Allahabad,
Uttar Pradesh.

Shri Lakhpai Singh,
Platoon Commander, *(Officiating)*
XXVII Battalion, Pradeshik Armor,
Consabulary, Sitapur,
Uttar Pradesh.

Shri Kailash Chandra Bhargava,
Deputy Inspector of Police (M),
Intelligence Department,
Special Branch, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Ashraf Ali Khan,
Head Constable No. 949, *(Officiating)*
Civil Police, Agra,
Uttar Pradesh.

Shri Paras Nath Singh,
Head Constable,
XXV Battalion, Pradeshik Armed Constabulary,
Allahabad,
Uttar Pradesh.

Shri Pratap Singh,
Head Constable,
XI Battalion,
Pradeshik Armed Constabulary, Sitapur,
Uttar Pradesh.

Shri Ram Dutt Ram,
Constable,
Intelligence Department, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Jaint Singh,
Constable Driver,
Criminal Investigation Department,
Crime Branch, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Jamil Ahmad Khan,
Head Operator Mechanic,
Uttar Pradesh Police Radio Section, Lucknow,
Uttar Pradesh.

Shri Bindeshwari Singh,
Sub-Inspector,
Band XI Battalion,
Pradeshik Armed Constabulary, Sitapur,
Uttar Pradesh.

Shri Gour Krishna Mukharji,
Deputy Superintendent of Police,
Jalpaiguri,
West Bengal.

Shri Pijush Kanti Chakraborti,
Deputy Superintendent of Police,
District Intelligence Branch, Jalpaiguri,
West Bengal.

Shri Nirmal Gopal Mukharji,
Inspector of Police,
24-Parganas,
West Bengal.

Shri Sanjib Kumar Chatterjee,
Inspector of Police,
Burdwan,
West Bengal.

Shri Rabindra Chandra Das,
Armed Inspector of Police,
Birbhum,
West Bengal.

Shri Bhagirath Dutta,
Inspector of Police,
Enforcement Branch,
West Bengal.

Shri Parbati Kumar Chatterjee,
Inspector of Police,
Calcutta,
West Bengal.

Shri Deb Prosad Baksi,
Inspector of Police,
Criminal Intelligence Section,
Detective Department, Calcutta,
West Bengal.

Shri Sudhirendra Nath Sarkar,
Sub Inspector of Police,
District Intelligence Branch,
24-Parganas,
West Bengal.

Shri Ajit Kumar Chatterjee,
Sub-Inspector of Police,
Fatal Squad, Traffic Department,
Calcutta Police,
West Bengal.

Shri Ashoke Kumar Sarkar,
Head Constable No. K-1904,
Hooghly
West Bengal.

Shri Mokar Dhosh Tamang,
Naik No. 12017,
1st Battalion, Calcutta Armed Police,
West Bengal.

Shri Gopal Krishna Bose,
Constable No. T1610,
Special Branch, Calcutta,
West Bengal.

Shri Satyabrata Basu,
Deputy Inspector-General of Police,
Intelligence Branch,
West Bengal.

Shri Th. Chhandabihari Singh,
Superintendent of Police, Manipur Central.

Shri Baljit Rai Sur,
Inspector-General of Police,
Tripura.

Shri I. J. Verma,
Deputy Inspector General of Police,
Delhi.

Shri Daryao Singh,
Deputy Superintendent of Police,
Delhi.

Shri Gurcharan Singh,
Inspector No. D-1/144,
Delhi Police,
Delhi.

Shri Banarsi Dass,
Sub-Inspector of Police,
Delhi.

Shri Viswanath Ram Kishan,
Superintendent of Police (Headquarters),
Pondicherry.

Brig. Harchand Singh,
Commandant,
Signal Regiment,
Border Security Force.

Shri Prakash Chander Chopra,
Assistant Director (BD),
General Dte. Border Security Force.

Col. Rana Pratap Singh,
Assistant Director (Operations),
Directorate General,
Border Security Force.

Shri Ram Prakash Sharma,
Law Officer Grade I,
(Commandant),
Border Security Force Headquarters.

Lt. Col. Ajmer Singh,
Commandant, 48 Battalion,
Border Security Force.

Shri Baljit Singh Tyagi,
Deputy Commandant, 46 Battalion,
Border Security Force.

Shri Suresh Chandra Dewan,
Joint Assistant Director (Communications),
Headquarter, Deputy Inspector General,
Border Security Force, Jodhpur.

Shri Udham Singh,
Assistant Commandant,
Headquarters, Inspector General,
Border Security Force, Jullundur.

Shri Harbans Singh,
Inspector,
Arms Workshop, Headquarters,
Deputy Inspector General,
Border Security Force, Ahmedabad.

Shri Raju Ram,
Inspector No. 66121017,
16th Battalion,
Border Security Force.

Shri Gurdial Singh,
Subedar Major No. 67001188,
Border Security Force Academy,
Tekanpur (Gwalior).

Shri Jage Ram,
Inspector No. 67900003,
90th Battalion,
Border Security Force.

Shri Shyam Sunder Lal,
Inspector (Accountant) No. 660000662,
Headquarters, Inspector General,
Border Security Force,
Punjab, Jullundur Cantt.

Shri Ram Bahadur Singh Bahadauria,
Sub-Inspector No. 66788025,
78th Battalion,
Border Security Force.

Shri Sher Singh,
Head Constable No. 67522039,
53rd Battalion,
Border Security Force.

Shri Rajendra Shekhar,
Deputy Inspector General of Police,
Central Bureau of Investigation,
New Delhi.

Shri Krishanlal Kalra,
Deputy Superintendent of Police,
Fraud Squad-II,
Central Bureau of Investigation,
New Delhi.

Shri Podugu Venkata Rama Rao,
Dy. Superintendent of Police,
Central Bureau of Investigation,
Hyderabad.

Shri Balwant Ramchandra Jadhav,
Inspector,
Central Bureau of Investigation,
GOW, Bombay.

Shri Odunghat Venugopal,
Inspector,
Central Bureau of Investigation,
Economic Offences Wing,
Madras.

Shri Ravi Shanker Shukla,
Inspector,
Central Bureau of Investigation,
Jabalpur.

Shri Mangel Dev,
Asstt. Sub-Inspector,
Central Bureau of Investigation,
Fraud Squad-II,
New Delhi.

Shri Gajanan Raghunath Kakade,
Head Constable,
Central Bureau of Investigation,
G.O.W., Bombay.

Shri D. S. Bhatnagar,
Deputy Director (Training),
Directorate General,
Central Reserve Police Force,
New Delhi.

Shri Sudhir Kumar Bose,
Deputy Superintendent of Police,
Signal Group Centre,
Central Reserve Police Force,
Neemuch.

Shri Dharampal,
Subedar Major,
51st Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Nihal Singh,
Subedar,
3rd Signal Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri Sureshanand,
Subedar,
3rd Signal Battalion,
Central Reserve Police Force

Shri K. Natrajan,
Jemadar,
Signal Group Centre,
Central Reserve Police Force,
Neemuch.

Shri Udham Singh,
Jemadar,
52nd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Paras Ram Chaubey,
Jemadar,
22nd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Karam Singh,
Head Constable,
48th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Gulab Chand,
Head Constable,
53rd Battalion,
Central Reserve Police Force.

Shri Prem Nath Datta,
Head Constable (Radio Operator),
Signal Group Centre,
Central Reserve Police Force,
Neemuch.

Shri Banta Ram,
Head Constable,
Inspector General of Police-S/II Office,
Central Reserve Police Force,
Calcutta.

Shri Harnam Singh,
Head Constable,
49th Battalion,
Central Reserve Police Force.

Dr. Kadangode Venkateshwara Harihara Padmanabhan,
Joint Deputy Director,
Intelligence Bureau,
New Delhi.

Shri Rajendra Prakash Malik,
Deputy Central Intelligence Officer,
Intelligence Bureau,
New Delhi.

Shri Satya Paul Wadhawan,
Joint Assistant Director,
Intelligence Bureau,
New Delhi.

Shri Khiangte Lalzoliana,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Aizawl.

Shri Ishar Dass Sarin,
Joint Assistant Director,
Subsidiary Intelligence Bureau,
Mokokchung.

Shri Kartar Singh,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Amritsar.

Shri Raju Pillai Krishna,
Deputy Central Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Madras.

Shri A. K. Doval,
Joint Assistant Director,
Subsidiary Intelligence Bureau, Aizawl.

Shri Vesalhu Chakhesang,
Junior Intelligence Officer,
Subsidiary Intelligence Bureau, Kohima.

Shri Raj Bahadur Singh Gahlot,
Company Commander,
Cabinet Secretariat.

Shri B. J. Misar,
Group Commandant,
Bombay,
Central Industrial Security Force, Bombay.

Shri Lionel Morris Devasahayam,
Commandant,
Central Industrial Security Force Unit,
Madras Port Trust.

Shri Prabh Dayal,
Assistant Sub-Inspector,
Central Industrial Security Force.

Lt. Col. Pritam Singh Grewal,
Commandant,
VI Battalion,
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Eguri Yesuraj Das,
Assistant Central Intelligence Officer I (W/T),
1st Battalion,
Indo-Tibetan Border Police.

Shri Syed Mohammed Mahmood,
Head Constable of Police,
Sardar Vallabhbhai Patel,
National Police Academy,
Hyderabad.

Shri P. N. Mehra,
Assistant Director,
Institute of Criminology and Forensic Science,
Ministry of Home Affairs.

Shri Tulja Raj,
Principal,
Central Detective Training School,
Bureau of Police Research & Development,
Ministry of Home Affairs,
New Delhi.

Shri Harish Chander,
Principal,
I.R. R.P.F. Training College,
Lucknow.

Shri Mirza Aban Baig,
Assistant Security Officer,
South Central Railway,
Secunderabad.

Shri Rohit Lal Mehta,
Company Commander,
No. 8 Battalion,
Railway Protection Special Force,
Chittaranjan (West Bengal).

Shri Dewan Singh,
Head Rakshak,
Northern Railway, Delhi Division,
Delhi.

2. These awards are made under rule 4(ii) of the Rules governing the grant of the Police Medal.

No. 96-Pres/75.—The Police Medal for meritorious service awarded to Shri Sudhish Singh, Deputy Inspector General of Police, Bihar on the occasion of Independence Day 1974 in the President's Secretariat Notification No 93-Pres/74, dated

the 15th August, 1974 published at page 822 of Part I, Section 1 of the Gazette of India dated the 17th August, 1974 is hereby cancelled.

No. 97-Pres/75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975, to award the Fire Services Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Meppladath Subrama Iyer Subramaniam,
Divisional Fire Officer,
Tamil Nadu Fire Service.

Shri R. Chinnaswamy,
Fireman,
Tamil Nadu Fire Service.

Shri Kangappan Sivalingam,
Fireman,
Tamil Nadu Fire Service.

Shri Biswambhar Deb Barma,
Station Officer,
Tripura Fire Service.

Sub. Bans Narain Pandey,
Mobile Civil Emergency Force,
Delhi,
(Ministry of Home Affairs).

Naib Sub. Dhonkal Singh,
Mobile Civil Emergency Force,
Delhi,
(Ministry of Home Affairs).

Shri Bharatha Rao,
Divisional Fire Officer,
Vijayawada,
Andhra Pradesh.

Shri M. Krishnamurthy,
Divisional Fire Officer,
Guntur,
Andhra Pradesh.

2. These awards are made under rule 3(2) of the Rules governing the grant of the Fire Services Medal.

No. 98-Pres/75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975, to award the Fire Services Medal for gallantry to the undermentioned officers :—

Names and ranks of the officers

Shri S. Singhajit Singh,
Station Officer,
Manipur Fire Service.

Shri N. Mani Singh,
Leading Fireman,
Manipur Fire Service.

Shri Kh. Menjor Singh,
Fireman Driver,
Manipur Fire Service.

Shri R. K Muktasana Singh,
Fireman,
Manipur Fire Service.

Statement of services for which the decoration has been awarded :—

On 25th January, 1975 at about 12.30 hours an explosion took place in the tunnel of Loktak Project located near Kom-Keirap in Manipur. In the explosion ten persons were injured. The injured were evacuated to Lamphel General Hospital on the same day. Out of the ten persons two succumbed to their injuries.

On the same day at about 14.00 hours another explosion occurred in the same tunnel. Owing to the second explosion eight persons were trapped in the tunnel.

On being requisitioned for rescue of the trapped persons a detachment of Manipur Fire Service from Imphal reached the tunnel mouth on 25th January, 1975 at about 22.30 hours. The detachment was led by Shri S. Singhajit Singh.

On arrival at the tunnel mouth the personnel of the detachment found that the tunnel was heavily contaminated and atmosphere inside the tunnel was dangerously suffocating. The detachment had no breathing apparatus. The indents for this apparatus are still pending with the suppliers etc. Electric supply had been cut off to avoid recurrence of explosion and as a result of which there was pitch darkness in the tunnel. Deadly suffocating atmosphere and pitch darkness had rendered entry into the tunnel for rescue work imminently hazardous.

Impelled by extra-ordinary sense of duty in utter disregard of personal safety, Shri S. Singhajit Singh decided to forthwith undertake the rescue operation and enter inside the tunnel personally with a couple of his hand-picked assistants namely Sarvashri N. Mani Singh, Kh. Menjor Singh and R. K. Muktasana Singh. Shri Singhajit Singh and his party on reaching about 25 metres inside the particular face of the tunnel where accident took place suffered a staggering bout of nausea and had to retreat back to gain breath. Despite grave danger involved in probing the tunnel, attempts to proceed as far ahead as possible inside the tunnel were repeated with commendable tenacity and exemplary courage. On 4th attempt the party could reach about 300 metres inside the tunnel. On reaching this spot with the help of torch-light the area was surveyed. In the tunnel Shri Singhajit and his gallant men found the loco-line covered with debris and ribs of the tunnel which had been brought in for erection. The party also saw that the watch line and compress air line had been damaged at various places and from these water and air were leaking profusely. Some helmets and pieces of foot-wear were also seen lying about. The environment in the tunnel was thickly saturated with gas and atmosphere heavily suffocating. The ghastly spectacle that Shri S. Singhajit Singh and his party witnessed left no doubt in their mind that there was no chance of survival of the trapped persons and continuance of rescue work would not only have been futile but instead would have caused avoidable casualties amongst fire-service personnel and added to the toll of calamity. Accordingly rescue work was terminated in the night of 25/26th January, 1975 and work of clearing the tunnel from obnoxious and inflammable gas taken up so that evacuation work could be done under comparatively safer conditions.

Evacuation operations were started at 0630 hrs of 26th January, 1975. By probing in calf deep water in eerie environment two dead bodies could be evacuated and brought out of the tunnel by the Fire Service personnel headed by Shri S. Singhajit Singh at about 0930 hrs and three dead bodies at about 1230 hrs. Even at that time the inside of tunnel was highly gaseous and the men doing evacuation felt quickly fatigued. By persistent work all the remaining three bodies could be evacuated by the evening of 26th January, 1975. Some members of the project staff also assisted the Fire Service personnel with courage and praiseworthy civic sense.

Sarvashri S. Singhajit Singh, N. Mani Singh, Kh. Menjor Singh and R. K. Muktasana Singh displayed, exemplary leadership, sense of duty and gallantry in launching rescue work on 25th January, 1975 in deadly atmosphere and in evacuation work on 26th January, 1975 in hazardous conditions.

2. These awards are made for gallantry under rule 3(1) of the Rules governing the award of the Fire Services Medal and consequently carry with them the special allowance admissible under rule 5(a) with effect from 25th January, 1975.

No 99-Pres./75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975, to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for Distinguished Service to the undermentioned officer :—

Shri Krishan Kumar Malhotra,
Director,
National Civil Defence College,
Nagpur.

2. This award is made under rule 3(4) of the rules governing the grant of the President's Home Guards and Civil Defence Medal.

No. 100-Pres/75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975 to award the Home Guards and Civil Defence Medal for gallantry to the undermentioned officers :—

(1) Shri Kalubhai H. Jadav, (*Posthumous*)
Platoon Sergeant,
Gujarat State Home Guards.

(2) Shri Mahendra Singh H. Gohel, (*Posthumous*)
Gujarat State Home Guards.

During the last students' agitation in Gujarat State from January 1974 to March 1974, a tragic incident occurred on 2-3-1974 when a fire broke out in Motibaug Palace, Bhavnagar, in which Government Offices were situated. The Home Guards of Bhavnagar city immediately rushed to the scene of incident to assist in extinguishing the fire and remove the valuable Government records from the building under fire. Two of our Home Guards, noticed that a boy was trapped in the fire. Though the building was completely engulfed by gre, Shri Kalubhai H. Jadav, Platoon Sergeant and Shri Mahendra Singh Gohel made their way into the flames of Motibaug Palace to save the life of the boy and with great difficulties they succeeded in pushing out the boy through the flames and the boy was saved but these two dutyful and brave Home Guards were engulfed in the fire and could not come out. A burning log fell on Shri K. H. Jadav and Shri Mahendra Singh Gohel when burning ceiling collapsed. Thus Shri K. H. Jadav and Shri Mahendra Singh H. Gohel both the Jawans of Bhavnagar City Home Guards laid down their lives while rendering their honorary and voluntary services to same a human life trapped in fire.

Their dead bodies could be traced only after removing much of the debris after five days.

There is no parallel of this incident in the history of the Home Guards organisation when the Home Guards have met with death whilst rendering honorary and voluntary services, in the living memory of the organisation.

3. L/Nk Shankar Singh,
Home Guards Volunteer,
Madhya Pradesh.

L/Nk Shankar Singh was enrolled as a Sainik in Ratlam district on 2-12-1968. He was promoted to the rank of Lance Naik on 10-2-1972.

In the evening of 5-10-1974 Shrimati Pushpa Devi, wife of Shri Kailash resident of Ratlam, on her way home felt thirsty near the office of the Collector, Ratlam where at Jhali tank was located. While going down the steps of the tank, she slipped down and fell into the tank. The said tank is very deep and is surrounded with big rocks all around. Shrimati Pushpa Devi raised a cry for help but none of the onlookers could summon enough courage to rescue the helpless lady. Shrimati Pushpa Devi was swept away from the banks and, not being a swimmer, was about to drown L/Nk Shankar Singh, who was working in the Home Guards Mess nearby, rushed to the spot on hearing the hue and cry raised by the onlookers and dived into the tank He swam to the place where Shrimati Pushpa Devi was drowning and with tremendous efforts rescued her While swimming back to the bank, L/Nk Shankar Singh himself went under the water more than once but did not lose courage and ultimately succeeded in bringing Smt. Pushpa Devi, who was in an unconscious state, to the bank.

On reaching the bank, L/Nk Shankar Singh immediately administered her first aid as a result of which her precious life was saved.

L/Nk Shankar Singh was honoured by the District Rotaract Club (No. 303) at a public function on 22-12-1974.

L/Nk 30365 Shankar Singh displayed conspicuous courage and devotion to duty in the face of heavy odds and saved the life of Shrimati Pushpa Devi in extremely perilous circumstances without any fear of his personal danger.

The award of the Home Guards & Civil Defence Medal to L/Nk 30365 Shankar Singh will be a fitting tribute to his gallantry.

4. Shri Shamsher Singh, (*Posthumous*)
Volunteer (Sub. Section Leader),
Border Wing Home Guards, Punjab.

Sub Section Leader Shamsher Singh No. 7027 son of Shri Dogar Singh was in the 6th Bn. of Border Wing Home Guards, Fazilka. During the war emergency his battalion was attached with 22nd Bn BSF under the overall control of Army Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous attack at Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971. BV No. 7027 Sub Section Leader Shamsher Singh s/o Shri Dogar Singh was posted at BSF Post Mohar Sona. This post was heavily shelled but he stuck to his post inspite of heavy odds. He did not leave his post until tactical withdrawal was ordered by the Brigade on 5th December 1971. During all these three days of intensive enemy shelling and small arms fire he showed steadiness and leadership in action under enemy fire. During withdrawal, when his Platoon reached near Lunda Bunch area they were ambushed by the enemy. The unit took positions and fought back. Sub Section Leader Shamsher Singh received an M.M.G. burst but he kept on fighting till the last round which made the escape of some of the members of his unit including BSF personnel possible from the trap. In this action he laid down his life for his country in the line of his duty and showed great devotion to duty and discipline.

5. Shri Inder Singh, (*Posthumous*)
Volunteer Border Wing Home Guards,
Punjab State.

Vol. BV-6872 was of 6 Border Wing Bn Fazilka. His Bn. was attched to 22 Bn. BSF and was under the operational control of ARMY Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous attack at Fazilka Border on the evening of 3rd December 1971. BV-6872 Vol. Inder Singh s/o Shri Chanan Singh, "C" Coy PHG Fazilka was posted at BSF Post Sowar Wali. Before the out-break of war he was ordered to move at Brigade Charumi. This post was heavily shelled by the enemy and was encircled by the enemy troops. The enemy troops pressed the charge and Vol. Inder Singh held to his post and kept on firing till the last round in utter disregard of his personal safety. He showed an exemplary courage and gallantry of high order. The Vol. laid down his life in this action and set example for others to follow.

6. Shri Waryam Singh, (*Posthumous*)
Volunteer Home Guards,
Punjab.

BV 6852 Vol. Waryam Singh S/o Shri Dhara Singh of Border Wing Home Guards Bn. was attached to 22 Bn. B.S.F. and was under the operational control of Army Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous attack at Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971 BSF Post Jhanger was heavily shelled. Bv. 6852 Vol. Waryam Singh s/o Dhara Singh 'C' Coy PHG. Fazilka was performing his duties when over three coys' of enemy troops encircled the post Jhanger. The enemy troops pressed the attack. Vol. Waryam Singh held to his post inspite of heavy odds and kept on firing till the last round. In utter disregard of his personal safety he showed exemplary courage and gallantry of high order in his duty till the post was over run. Vol. Waryam Singh laid down his life in this action and set an example in devotion to duty of the highest order in the service of the nation.

7. Shri Nand Singh, (*Posthumous*)
Volunteer Border Wing Home Guards,
Punjab.

Vol. BV. 6956 Nand Singh s/o Shri Jamal Singh was of 6th Border Bn. Fazilka. His Bn. was attached to 22nd Bn. BSF and were under the operational control of Army Brigade at Fazilka. BV-6956 Vol. Nand Singh was posted at BSF post Jhanger, when the Pakistanis launched a treacherous and surprise attack on the Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971. The Pakistan Army used artillery and tanks against this post in addition to the small arms. The post was very heavily shelled and encircled by a very large number of enemy troops. Vol. Nand Singh along with his other comrades stuck to his post and inspired his other colleagues to face the enemy courageously In utter disregard to his personal safety he showed exemplary courage and gallantry of high order. The post was over run and

Nand Singh died fighting for the honour of his country Vol. Nand Singh showed exemplary devotion to duty and set a high example of courage and selflessness to his comrades and to the people.

8. Shri Bachan Singh, (*Posthumous*)
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Vol. BV-6840 Bachan Singh s/o Shri Jaimal Singh was of 6 Border Wing Battalion Fazilka. His Bn. was attached to 22 Bn. B.S.F. and were under the operational control of Army Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous and surprise attack on the Fazilka border on the evening of 3rd December, 71. BV-6840 Vol. Bachan Singh "C" Coy. PHG Fazilka was posted at BSF post Sowar Wali. This post was heavily shelled and surrounded by an overwhelmingly large number of Pakistani troops. The enemy attack was very furious. Inspite of the heavy shelling and constant pressure by the Pakistani Army Vol. Bachan Singh did not leave his post and kept on firing from the post against the advancing enemy and laid down his life as the post was over run. He showed exemplary courage and great devotion to duty in the service of the Nation inspite of heavy odds.

9. Shri Resham Singh, (*Posthumous*)
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Vol. BV-6875 Resham Singh s/o Shri Nazar Singh was of 6th Bn. Border Wing Fazilka. His Bn. was attached to 22 Bn. B.S.F. and was under the operational control of Army Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous attack at Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971. BV-6875 Vol. Resham Singh "C" Coy. PHG, Fazilka was posted at BSF post Sowar Wali. This postwas heavily shelled but he stuck to his post inspite of the heavy pressure from the enemy. The Pakistanis pressed the charge and kept on attacking the post again and again. Vol. Resham Singh unmindful of the enemy pressure kept on firing and took heavy toll of the enemy. After a great struggle the post was over run and Vol. Resham Singh laid down his life at this post fighting for his country. He showed a very high sense of duty and exemplary courage unmindful of the heavy number of enemy against him.

(*Posthumous*)

10. Shri Tara Singh,
Volunteer Section Leader,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Section Leader BV-6877 Tara Singh s/o Shri Anokh Singh was of Border Wing Battalion Fazilka. He was attached to 22nd Battalion BSF under the operational control of Army Bde Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971. BV-6877, Sec. Ldr. Tara Singh s/o Shri Anokh Singh "C" Coy, PHG, Fazilka was posted at BSF post Nirmal. This post was heavily shelled and attacked by a large number of Pakistanis. The attack was furious. Unmindful of all this he was constantly firing at the enemy and persuading his other companions to stick to their Posts and take heavy toll of enemy. The post was surrounded by a very large number of Pakistani troops and was over run. Sec. Ldr. Tara Singh showed a very high order of bravery and inspired his comrades to fight the enemy. He laid down his life fighting for his mother land.

11. Shri Joginder Singh,
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Vol. BV-6937 Joginder Singh s/o Shri Sardara Singh was of 6th Bn. Border Wing, Bn. Fazilka. His Bn. was attached to 22 Bn. BSF and were under the operational control of Army Bde. at Fazilka. Vol. Joginder Singh of 6th Bn. Border Wing PHG. Fazilka was attached to BSF and posted at Forward post Jhangar. On the evening of 3rd December 1971 this Picket came under heavy enemy shelling. The Picket was outnumbered by the Pakistani troops and Pakistani tanks had to be brought in to reduce the defence of the Indian post. Vol. Joginder Singh showed great courage in sticking to his post and kept on replying to enemy fire till the last round. After inflicting heavy casualties on the enemy and inspite of the fact that he was severely wounded on both arms with bullet, he returned to base Picket. Vol. Joginder Singh showed great courage, tenacity and bravery of high order in the line of his duty and set a high example of doggedness in the battle.

12. Shri Balkar Singh, (*Posthumous*)
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Vol. Balkar Singh s/o Shri Mohan Singh belonged to 3rd Bn. Punjab Home Guards Border Bn. Amritsar and was attached to 27 Bn. BSF. He was deployed with BSF for the protection of BSF Post Mohawa. During his duty he proved to be courageous, dutiful and intelligent, and held on to his post despite enemy shelling and showed great enthusiasm and courage to serve as an example of coolness under fire, to his comrades. Although he was a Vol. yet he was always on the fore-front to perform every odd and arduous duty given to him. On the afternoon of 17-12-71 the enemy shelled BSF Post Mohawa very heavily with medium Artillery Guns and one of the shells fell on the bunker of Vol. Balkar Singh who was killed on the spot.

13. Shri Harbans Lal,
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

BV 5253 Vol. Harbans Lal is of 5th Bn. Pb. Home Guards, Ferozepur and was attached with BSF at the Border observation post of Parika Ferozepur Border under the over-all operation control of Army Brigade. After the capture of Border observation post of Parika (Ferozepur Border) by our forces on 11-12-71, Punjab Home Guards Volunteers including Volunteer Harbans Lal were detailed to hold the captured picket. The enemy launched a severe counter-attack but our Home Guards Volunteers foiled their attempt. In the heavy fighting Volunteer Harbans Lal was seriously injured. Unmindful of his personal safety, he stuck to his post and continued firing till the enemy attack was repulsed. He displayed a high sense of duty, examplary courage and bravery in sticking to his position inspite of the fact that he was seriously injured.

14. Shri Magh Singh,
Volunteer,
Border Wing Home Guards,
Punjab.

Volunteer BV-6908 Magh Singh was of the 6th Border Wing Home Guards Bn. Fazilka. His Bn. was attached to 22nd Bn. BSF and was under the operational control of Army Brigade at Fazilka. Pakistanis launched a treacherous attack at Fazilka Border on the evening of 3rd December, 1971. BV 6908 Volunteer Magh Singh son of Shri Latkan Singh 'C' Coy PHG Fazilka was posted at BSF post. Before the out-break of war he was ordered to move to BSF Post Khokar. BSF post was heavily shelled. Volunteer Magh Singh was performing his duties assigned to him by the incharge of the post when over 3 coys strength of enemy troops encircled the BSF post. The enemy troops pressed the charge furiously. Volunteer Magh Singh held his position inspite of heavy odds and kept on firing till the last round in utter disregard of his personal safety. He showed an exemplary courage and gallantry of high order. The volunteer was badly wounded, during this action and brought back to the India side by Vol. Uttam Chand.

15. Shri Ram Chandra Gupta,
Home Guard, Uttar Pradesh.

Home Guard Ram Chandra Gupta alongwith some Policemen was deployed on law order duty at Saket Maha Vidyalaya Faizabad on 20-4-1974. Some Professors and students of the college entered the office of the Principal, Sri Rama Shankar Tiwari and started belabouring him. Hearing the hue and cry. Home Guard Ram Chandra Gupta and some police men rushed there and Home Guard Ram Chandra posted himself in between the principal and the assailants to ward off the blows and save the Principal without caring for his own safety. In this way he succeeded in saving the life of the Principal, but himself received as many as eleven injuries on his body including loss of two teeth and he had to be rushed in an unconscious state to the hospital where he remained under treatment for over a month. This courageous

and gallant act of this Home Guard received high praise from the public as well as the administration.

16. Shri Chhakkan Lal,
Home Guard Section Leader,
Uttar Pradesh.

On 16th June, 1974 at about 2.30 P.M. 3 bad characters came to the grocery shop of Amar Nath R/o Dariyabad, P.C. Atarshiya Allahabad City on the pretext of making purchases, then entered his adjoining house and started looting cash and ornaments after beating the inmates. On the hue and cry raised, Home Guard (Section Leader) Chhakkan Lal living in the neighbourhood also reached the scene and pursued the miscreants who were then retreating after looting the house. During the pursuit one of the robbers inflicted 2 knife injuries on the face and arm of Chhakkan Lal. But he was not deterred and inspite of these grievous injuries and at the peril of his life, he continued the chase and ultimately succeeded in apprehending one of the bad characters who turned out to be a confirmed dacoit who was absconding in case of murder committed by him earlier. Thus Home Guard Chhakkan Lal displayed extraordinary courage and devotion to duty at the risk of his life.

17. Shri Krishna Mohan Singh,
Jamadar,
Company Commander,
Bihar.

Shri Krishna Mohan Singh joined the Bihar Homeguards Organisation on 1-5-67. He received training in the Central Training Camp, Bihta, for six months. Thereafter he served as Coy. Commander at Patna and Sahebganj. He is an outstanding sportsman and has been of great assistance in organizing sports and games of the Homeguards Organisation.

On 18-3-74 Patna witnessed one of the worst orgies of violence. Shri M. K. Jha, Dy. Superintendent of Police who was on deputation at the Institute of Engineers near the Secretariat was brutally assaulted by the unruly mob and thrown on the streets in an unconscious condition. No body dared to go near the helpless police officer who was lying unconscious and uncared for. Shri Krishna Mohan Singh, Coy. Commander, Homeguards learnt about the plight of the police officer and without caring for his own safety rushed to the place where Shri Jha was lying unconscious, picked him up and removed him to his own residence. He immediately arranged medical aid for him. As the Senior Police Officers were awfully busy in maintaining law and order, Shri Krishna Mohan Singh had to attend to the Dy. Superintendent of Police for two days arranging proper medical treatment for him. He, thus showed immense courage, compassion and high sense of responsibility and devotion to duty. He actually saved the life of one Dy. Superintendent of Police who was brutally assaulted by an unruly mob.

The gallant act of this young officer is highly praiseworthy.

18. Shri Saichhunga, *(Posthumous)*
Guardsman Volunteer,
Mizoram.

On 19th July, 1974 one robber by the name Raltawna belonging to Zembawk village in the district of Aizawl, Mizoram, entered the house of Shri Biakthuama of Tlungvel grouping centre at midnight with a country made pistol and robbed him of Rs. 780.00 at gun point. When the robber left the house, Shri Biakthuama informed volunteer guardsman No. 349 Saichhunga (late) who was posted at Tlungvel Grouping Centre to guard Government godown. GM No. 349 Saichhunga tactfully chased the culprit who escaped to jungle in cover of darkness. He was successful in overpowering the culprit single handed at 11 Kilometres away from the Grouping Centre. With his tactfulness and presence of mind, he could snatch the country made pistol and recover the money from the culprit. The robber along with the country made pistol was handed over the Police Station, Serchhip by him.

On 3-3-1974, the robbers Shri Zatluanga and Shri Rotluanga were absconding from Durtlang Grouping Centre after looting Rs. 10,000.00. On receipt of information that the culprits were moving towards Lunglei road, the Guardsman Volunteers kept vigilance day in and day out. The robbers who were trying to escape in the cover of darkness were spotted by Guardsmen No. 349 Saichhunga. Since, the robbers were understood to have in possession of lethal weapons like daggers etc., he with the assistance of other colleagues Guardsmen apprehended the culprits at the great risk of his life. They recovered an amount of Rs. 9511.25 out of Rs. 10,000.00 from the robbers. The robbers were handed over to Police Station, Serchhip, alongwith the cash they recovered from them.

On 25-2-1975, Criminal Bahadur Thakuri alias Kanchha who infiltrated into Mizoram without proper pass and believed to have been involved in several criminal cases entered Tlungvel Grouping Centre. On hearing this, GM No. 349 Saichhunga investigated and found out that the said criminal was hiding in the jungle 10 Kilometres away from the Centre. He immediately rushed to the hideout. He finally traced him out but found him armed with Khukri. With tactfulness and presence of mind, he could arrest him and bring to Administrative Officer, Tlungvel Grouping Centre. Shri Saichhunga, alongwith his colleagues, GM No. 348 Thangvuka and GM No. 350 Kobbika, escorted the criminal to Serchhip Police Station which is about 60 kilometres from their post. On their return journey they availed a Military vehicle coming towards Aizawl belonging to 571 ASC Bn. c/o 99 APO, which unfortunately met with an accident near Baktawng Grouping Centre as a result of which GM No. 349 Saichhunga died on the spot.

Moreover, it is also worth mentioning, that Volunteer Guardsman No. 349 Saichhunga was always devoted to duty in apprehending petty thieves, illicit liquor sellers, helping the community whenever necessary and the like. He was appreciated by the people of the Tlungvel Grouping Centre.

2. These awards are made under rule 3(1) of the rules governing the grant of the Home Guards and Civil Defence Medal and consequently carry with them the special monetary grant admissible under rule 5.

No. 101-Pres./75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975 to award the Home Guards and Civil Defence Medal for Meritorious Service to the undermentioned officers :—

Shri Vyankatesh Krishna Bhandarkar,
Commandant Home Guards,
Maharashtra.

Shri Yashwant Vishnu Kalaskar,
Senior Divisional Commandant,
Maharashtra.

Shri Madhav Rao Narayan Rao Jadhav,
Commandant Home Guards,
Maharashtra.

Shri Sheo Shanker Singh Shukul,
Commandant Home Guards,
Madhya Pradesh.

Shri Ram Saran Mittal,
Junior Staff Officer Home Guards,
Uttar Pradesh.

Shri Udai Vir Singh,
Junior Staff Officer Home Guards,
Uttar Pradesh.

Shri Kailash Chandra Misra,
District Commandant Home Guards,
Uttar Pradesh.

Shri Rai Rajeshwar Bali,
Commandant District Training Centre,
Home Guards,
Uttar Pradesh.

Shri Rajendra Singh,
Commandant General Home Guards and
Director Civil Defence,
Himachal Pradesh.

Havildar Arjun Singh,
Mobile Civil Emergency Force,
Delhi,
(Ministry of Home Affairs)

Constable Baljit Singh,
Mobile Civil Emergency Force,
Delhi,
(Ministry of Home Affairs)

Shri Tirlok Bakshi,
Assistant Director General Civil Defence,
Directorate General Civil Defence,

Ministry of Home Affairs,
New Delhi,

2. These awards are made under rule 3(2) of the rules governing the grant of the Home Guards and Civil Defence Medal.

No. 102-Pres/75.—The President is pleased on the occasion of the Independence Day 1975, to award the President's Home Guards and Civil Defence Medal for gallantry to the undermentioned officers :—

Name and rank of the officer

1. Volunteer Jarnail Singh,
Border Wing Home Guards, Punjab.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

Volunteer Jarnail Singh son of Shri Inder Singh BV-7474 of the Border Wing Home Guards Bn Fazilka was attached to 26 Bn BSF Jalalabad and were under the operational control of Army. Pakistanis launched a treacherous attack at Ferozepur—Fazilka Border on the evening of 3rd December 1971. There was a serious threat of attack by Pakistan Army on this check post. Also there was a thick growth of Sarkanda on the Pak side near the post from where the threat was expected. The incharge of the post intended to set fire to Sarkanda growth in the Pakistan held territory so that field of fire was visible. For this act BV-7474 Volunteer Jarnail Singh son of Shri Inder Singh 'F' Coy 6th Bn Punjab Home Guards Jalalabad volunteered himself when the picket Commander asked for a volunteer to do this dangerous job. He was given enough petrol for sprinkling on Sarkanda to be set on fire. He went deep into the enemy territory with the explosive material and set the Sarkanda on fire. In this act his clothes caught fire and he received burn injuries also, for which he was admitted in the Civil Hospital Jalalabad for treatment. Volunteer Jarnail Singh showed great courage and scant regard for his personal safety when he offered to do this hazardous military duty. He displayed a devotion of duty beyond the normal call and risked his life.

Name and rank of the officer

2. Volunteer Uttam Chand,
Border Wing Home Guards, Punjab.

Statement of Services for which the Decoration has been Awarded

Volunteer BY-6928 Uttam Chand son of Shri Guru Ditta was of the 6th Border Wing Home Guards, Fazilka. His Bn was attached to the 22 Bn Border Security Force and was under the operational control of Army Brigade at Fazilka and was posted at Khokar Post on the Fazilka Border. This post came under heavy shelling on the night of 3rd and 4th December, 1971. During the firing, another volunteer Shri Magh Singh received serious injuries. Notwithstanding the fact that his own ammunition had been exhausted, Volunteer Uttam Chand unmindful of his personal safety carried his wounded comrade on his shoulders back to the base picket and saved the life of his comrade. Volunteer Uttam Chand showed a high grade of comaraderie in action and under enemy pressure, carried his wounded comrade for over a mile to the base picket of Border Security Force. Thus for this act of bravery and valour Volunteer Uttam Chand deserved to be awarded.

2. These awards are made under rule 3(i) of the Rules governing the grant of the President's Home Guards and Civil Defence Medal, and consequently carry with them the special monetary grant admissible under rule 5.

K. BALACHANDRAN,
Secy. to the President

CABINET SECRETARIAT

DEPARTMENT OF PERSONNEL & ADMINISTRATIVE REFORMS

New Delhi, the 30th July 1975

No. 4/10/73-Estt (D).—In 1972, the Central Government had decided to raise by 5 years the upper age limit for direct recruitment to the Engineering Services and Posts for which a degree or diploma in Engineering was the prescribed basic qualification and which were to be filled on the basis of Engineering Service Examination 1972 and 1973 and the Engineering Services (Electronics) Examination 1973 and 1974. These concessions were further extended for the examinations held upto 1975. The matter has now been reconsidered by the Government and it has been decided that the upper age limit for the Combined Engineering Services Examination held by the Union Public Service Commission shall be raised from the existing 25 years to 27 years, as a permanent measure, commencing from the year 1976.

S. KRISHNAN, Director

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF AGRICULTURE)

New Delhi, the 31st July 1975

RESOLUTION

No. 21-3/75-Genl. Coord.—In continuation of the Ministry of Agriculture (Department of Agriculture) Resolution No. 21-5/73-Genl. Coord. dated the 4th October, 1974 the Government of India have decided to extend further the term of the National Commission on Agriculture, which was set up vide the erstwhile Ministry of Food, Agriculture, Community Development & Co-operation (Department of Agriculture) Resolution No. 25-13/68-Genl. Coord. dated the 29th August, 1970, upto the 31st December, 1975 to complete the work of the Commission.

ORDER

ORDERED that a copy of the Resolution be communicated to the Chairman, Vice Chairman, and all the Full-time and Part-time Members of the National Commission on Agriculture, all Ministries/Departments of the Government of India, the Prime Minister's Secretariat, the President's Secretariat, Planning Commission, Cabinet Secretariat, Comptroller and Auditor General of India, Secretaries to the Government of all States and Union Territories, Agriculture Departments, all Attached and Subordinate Offices of the Ministry of Agriculture and Irrigation (Department of Agriculture), the Lok Sabha Secretariat, the Rajya Sabha Secretariat, Parliament Library (5 copies).

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

SANTOKH SINGH, Dy. Secy.

MINISTRY OF EDUCATION AND SOCIAL WELFARE

(DEPARTMENT OF EDUCATION)

New Delhi, the 18th July 1975

RESOLUTION

No. F. 15-9/75-U.1—Indian Council of Historical Research, New Delhi—a registered Society was established in March, 1972 with a view to bringing historians together and providing a forum for exchange of views between them, and to give a national direction to an objective and national presentation and interpretation of history and also to advice the Government of India on all such matters pertaining to historical research and training in history methodology as may be referred to it from time to time. It is hereby resolved to reconstitute the Indian Council of Historical Research rule 3 of the "Rules of the Indian Council of Historical Research, New Delhi, 1972" with the following members from the date of the first meeting of the reconstituted Council:

I. Chairman

1. Professor R. S. Sharma,
Head of the Department of History,
University of Delhi,
Delhi.

Prof. Sharma was appointed as the Chairman of the Council in March, 1972. As the term of Office of the first Chairman of the Council is for a period of five years under rule 13, he will continue as Chairman till March, 1977.

II. **Eighteen historians nominated by the Govt. of India**

2. Prof. B. Sheik Ali,
Head of the Deptt. of History,
Mysore University,
Manasa Gangotri,
Mysore-570006.

3 Prof. Satish Chandra,
Vice-Chairman,
University Grants Commission,
New Delhi-110001.

4. Prof. Barun De,
Director,
Centre for Studies in Social Sciences,
10, Lake Terrace,
Calcutta-700029.

5. Prof. S. Gopal,
Centre for Historical Studies,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi-110057.

6. Prof. Irfan M. Habib,
Department of History,
Aligarh Muslim University,
Aligarh, (U.P.)

7. Prof. A. R. Kulkarni,
Department of History,
Poona University,
Poona-411007.

8. Prof. Satish C. Misra,
Department of History,
M.S. University,
Baroda-390002.

9. Prof. G. R. Sharma,
Department of History and Archaeology,
Allahabad University,
Allahabad-211002.

10. Prof. (Miss) Romila Thapar,
Centre for Historical Studies,
Jawaharlal Nehru University,
New Delhi-110057.

11. Prof. M. Azhar Ansari,
Department of History,
Jamia Millia Islamia,
Jamia Nagar-110025.

12. Prof. H. K. Barpujari,
Department of History,
Gauhati University,
Gauhati-1 (Assam).

13. Prof. S. B. Deo,
Department of Ancient History and Archaeology,
Deccan College,
Poona-6.

14. Prof. Lallanji Gopal,
Department of Ancient Indian History, Culture and Archaeology
Banaras Hindu University,
Varanasi-5.

15. Prof. P. S. Gupta,
Department of History,
Delhi University,
Delhi. 7.

16. Prof. Anand Krishna,
Department of Fine Arts,
Banaras Hindu University,
Varanasi-221005.

17. Prof. V. M. Reddy,
Department of History,
Shri Venkateswara University,
Tirupati-517502.

18. Prof. Fauja Singh,
Department of History,
Punjabi University,
Patiala.

19. Prof S. R. Singh,
Department of History,
Bihar University,
Muzaffarpur.

III. **Representative of the University Grants Commission**

20. Dr. J. N. Kaul,
Joint Secretary,
University Grants Commission,
New Delhi.

IV. **Director General of Archaeology** Ex-Officio

21. Dr. M. N. Deshpande.

V. **Director National Archives**—Ex-Officio

22. Dr. S. N. Prasad.

VI. **Four persons to represent Government of India**

23. Prof. S. Nurul Hasan,
Minister of Education, Social Welfare and Culture.

24. Shri K. N. Channa,
Education Secretary,
Ministry of Education and S. W.
New Delhi.

25. Dr. (Mrs.) Kapila Vatsyayan,
Joint Educational Adviser (Culture),
Ministry of Education and S. W. and Culture,
(Department of Culture),
New Delhi.

26. Financial Adviser (EA & E),
Ministry of Finance,
(Deptt. of Expenditure),
New Delhi.

27. Member-Secretary—(Vacant)

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to the Director, Indian Council of Historical Research, 35, Ferozeshah Road, New Delhi.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ANIL BORDIA, Director (University)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1975